



# म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

(म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग)



## प्रवेश/परीक्षा विवरणिका

(वर्ष 2019–2020)

**सम्पर्क करें**

Phone - 0755-2671066, 0755-2552106

Web Site - [www.mpsos.nic.in](http://www.mpsos.nic.in)

E-Mail - [mpsos@rediffmail.com](mailto:mpsos@rediffmail.com)

हम हैं नम्बर १ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रथम पुरस्कार विजेता

2019

*विवरणिका*

## एम.पी.एस.ओ.एस. से जुड़ने वाले विद्यार्थी ध्यान दें!

- ☞ हमारे द्वारा ओपन स्कूल (परम्परागत) एवं रूक जाना नहीं योजना हेतु अधिकृत कियास्क क्रमशः आईसेक्ट तथा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन करें।
- ☞ प्रवेश/परीक्षा आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि का भुगतान न करें। भुगतान किये गये शुल्क की रसीद उसी समय प्राप्त करें।
- ☞ आईसेक्ट/एम.पी. ऑनलाइन के अतिरिक्त हमारी कोई एजेन्सी नहीं है, जिसके माध्यम से आवेदन किया जा सके।
- ☞ ऐसी झूठी एजेन्सियों से सावधान रहें, जो उत्तीर्ण कराने का झूठा वादा करती हो।
- ☞ ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व सभी निर्देशों को ठीक से पढ़ें।
- ☞ आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां अनिवार्यरूप से करें, कोई कालम खाली न छोड़ें।
- ☞ आपके द्वारा प्रथमबार चयन किये गये विषयों में परिवर्तन तभी मान्य होगा जब ओपन स्कूल द्वारा इस हेतु कार्यालयीन आदेश जारी किया जावेगा। अन्य स्थिति में विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- ☞ स्वयं का हस्ताक्षरित फोटो एवं आवश्यक मूल दस्तावेज स्केनिंग कर संलग्न करें।
- ☞ क्रेडिट योजनांतर्गत आवेदनकर्ता अपनी मूल अंकसूची 30 दिवस में म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय में जमा करावें, इसके अभाव में प्रवेश अमान्य हो जायेगा।
- ☞ रूक जाना नहीं योजना में पंजीयन हेतु मा.शि.मं. द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2019 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ही पात्र होंगे। पंजीयन हेतु एम.पी.ऑनलाइन पर जाकर बोर्ड के अनुक्रमांक बताकर अपने नाम की पुष्टि होने पर ही निर्धारित शुल्क जमा करें।
- ☞ नकल करना, अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को परीक्षा दिलाना आदि अनुचित साधनों में लिप्त होना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर आपकी परीक्षा रद्द कर दी जायेगी और आगामी परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपका प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है।
- ☞ परीक्षा संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी अपने स्वयं का अथवा माता/पिता का मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी जरूर अंकित करें। इसके अभाव में सूचना नहीं मिलने पर वह स्वयं जबाबदार होगा।
- ☞ विस्तृत जानकारियों हेतु हमारी वेबसाइट [www.mpsos.nic.in](http://www.mpsos.nic.in) पर तथा एम.पी.एस.ओ.एस.ई. बी. के मोबाइल एप को डाउनलोड कर देखी जा सकती हैं।

## प्रवेश रद्द होना

आपका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा यदि :-

- ☞ प्रवेश/परीक्षा पंजीयन आवेदन अधूरा भरा है।
- ☞ निर्धारित शुल्क से कम राशि जमा की गयी है।
- ☞ आवश्यक दस्तावेज पूरे स्केन नहीं किये हैं।
- ☞ आवेदन के समय आपके पास आवश्यक अर्हताएँ नहीं हैं।
- ☞ हाईस्कूल परीक्षा, परिशिष्ट में वर्णित मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण नहीं की है।
- ☞ जाली दस्तावेज जमा किये गये हैं अथवा त्रुटिपूर्ण और गलत सूचना दी गयी हो
- ☞ निर्धारित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य स्थान से परीक्षा में बैठने पर।
- ☞ निर्धारित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों की परीक्षा देने पर।
- ☞ उक्त के अभाव में यदि आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाता है और आप परीक्षा में उपस्थित भी हो जाते हैं, तब भी आपका प्रवेश रद्द कर परीक्षा परिणाम रोक दिया जावेगा।
- ☞ एक बार प्रवेश रद्द करने पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
- ☞ गलत आधारों पर प्रवेश के मामलों में शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

## ✎ विषय सूची ✎

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्रवेश/परीक्षा की जानकारी	06
2.	प्रस्तावना	07-12
3.	प्रवेश	13-18
4.	सम्पर्क कक्षाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम	19
5.	एम.पी.एस.ओ.एस. के पढाई कैसे करें	20
6.	मूल्यांकन	21-24
7.	परीक्षा पाठ्यक्रम	25-26
8.	अध्ययन केन्द्र/वर्चुअल क्लास केन्द्र	27-35
9.	संकलन केन्द्रों की सूची	36-37
10.	विषय परिवर्तन प्रारूप	38
11.	मान्यता	39
12.	प्रमाण पत्र जारी कर्ता प्राधिकारी सूची	39
13.	परिशिष्ट	40-52
14.	विज्ञप्ति	53
15.	महत्वपूर्ण तिथियां	54
16.	अन्य संचालित प्रवेश परीक्षाएं	55
17.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	56

## म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में अब ऑनलाइन प्रवेश 12 X7 X 24 अर्थात पूरे वर्ष प्रारम्भ

ब्लाक	प्रवेश/परीक्षा आवेदन करने की तिथियां (प्रतिवर्ष)	परीक्षा तिथि
प्रथम ब्लाक	1 सितम्बर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक नवीन प्रवेशित। 2. 1 मई 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक अन्य योजनाओं में प्रवेशित।	नवम्बर-दिसम्बर 2019 में
द्वितीय ब्लाक	1 मार्च 2019 से 31 अगस्त 2019 तक नवीन प्रवेशित। 2. 1 नवम्बर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक अन्य योजनाओं में प्रवेशित।	मई-जून 2020 में
<b>नोट :-</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>छात्र हित में 12 X 7 X 24 अर्थात पूरे वर्ष ऑनलाइन प्रवेश प्रारम्भ है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाता है। शुल्क विवरण पृष्ठ 22 पर अंकित है। शुल्क के अतिरिक्त 25 रु. पोर्टल शुल्क देय होगा।</li> <li>छात्र को नियमितरूप से वेबसाइट <a href="http://www.mpsos.nic.in">www.mpsos.nic.in</a> का अवलोकन करते रहना चाहिए, जिससे समस्त सूचनाएँ प्राप्त हो सकें। किसी अन्य माध्यम से छात्र को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जायेगी। किसी प्रकार की पृच्छा होने पर पूछताछ मंच पर सम्पर्क करें।</li> <li>ओपन स्कूल (परम्परागत) की परीक्षा हेतु <u>आइसेक्ट</u> ऑनलाइन एवं रुक जाना नहीं योजना हेतु <u>एम.पी.ऑनलाइन</u> कियास्क के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।</li> </ul>		

**सम्पर्क कक्षाएँ :-** वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से सम्पर्क कक्षाएँ सम्पन्न होंगी। (समय सारणी वेबसाइट [www.mpsos.nic.in](http://www.mpsos.nic.in) पर अपलोड की जावेगी)

**वीडियो कार्यक्रम -** प्रत्येक शुक्रवार प्रातः 5.02 से 5.025 बजे तक दूरदर्शन डीडी-1 पर प्रतिदिन सायं 6.30 से 7.00 बजे तक शैक्षिक चैनल ज्ञानदर्शन पर।

**आडियो कार्यक्रम -** प्रति शुक्रवार से रविवार तक प्रातः 8.30 से 9.00 बजे तक एफ.एम. रेडियो पर और पुनः सायं 4.30 से 5.00 बजे तक आडियो कार्यक्रम (एन.आई.ओ.एस. द्वारा प्रसारित ज्ञानवाणी 105.6 मेगाहर्ट्ज पर)

## प्रस्तावना

सन 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की तरह म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत, मंत्री परिषद् के संकल्प द्वारा वर्ष 1995 में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है।

दृढ़ एवं विकसित भारत निर्माण और 'सबके लिए शिक्षा' के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. निरंतर प्रयासरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सबके लिए शिक्षा पर व्यापक बल दिया गया था। इस आधार पर राष्ट्रीय ओपन स्कूल, नई दिल्ली की स्थापना सन 1989 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई थी। मध्यप्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद यह शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। मध्यप्रदेश की साक्षरता प्रतिशत मात्र 43.45 प्रतिशत जो कि राष्ट्रीय साक्षरता 52.02 प्रतिशत से काफी कम था। महिलाओं की औसत साक्षरता 28 प्रतिशत और कुछ क्षेत्रों में 2 प्रतिशत से भी कम थी।

मध्यप्रदेश में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश मंत्री – परिषद् के निर्णय दिनांक 28 मार्च 1995 के तहत राष्ट्रीय ओपन स्कूल के अनुरूप म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई। वर्ष 2013 से इसे म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOSEB) के नाम से जाना जाता है। मंत्री परिषद के निर्णय के तहत राज्य ओपन स्कूल प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रह गये विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर शिक्षित एवं कौशल युक्त समाज के निर्माण हेतु छात्र सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं का आयोजन करता है और उन्हें आगे की पढ़ाई हेतु अंकसूची सह प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है।

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल ने स्थापना वर्ष 1995 में 7069 विद्यार्थियों के प्रवेश से अध्ययन कार्य प्रारम्भ कर वर्ष 2018 की परीक्षाओं तक 18 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों की परीक्षा करवाकर सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया।

एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. दुरस्थ और मुक्त शिक्षा विधियों का प्रयोग कर पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों का बेहतर भविष्य निर्माण करने के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। बालिकाओं और महिलाओं, अनु.जाति/अनु.जन.जाति, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अक्षम और अन्य सुविधाओं से वंचित वर्गों को शिक्षित करना एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की विशेष प्राथमिकता है।

## 1.1 एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की कार्य पद्धति

1.1 एम.पी.एस.ओ.एस. का मुख्यालय भोपाल है। प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री एम.पी.एस.ओ.एस. के पदेन अध्यक्ष भी हैं। संचालक एवं सदस्य सचिव के रूप में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अपर संचालक पदस्थ होते हैं। इसकी कार्यकारिणी निम्नानुसार है :-

01. अध्यक्ष (पदेन) - मंत्री, शालेय शिक्षा, म.प्र. शासन।

### ★ पदेन सदस्य

02.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
03.	प्रमुख सचिव	म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग
04.	प्रमुख सचिव	म.प्र. शासन, वित्त विभाग
05.	आयुक्त	लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल
06.	संचालक	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
07.	संचालक	प्रौढ़ शिक्षा
08.	परियोजना संचालक	राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल (आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र)
09.	निदेशक (शैक्षिक)	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, दिल्ली
10.	प्रबंध संचालक	म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल
11.	सचिव	माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र., भोपाल
12.	प्राचार्य	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
13.	मनोनीत सदस्य	राज्य शासन द्वारा 04 मनोनीत सदस्य
14.	सदस्य सचिव	संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल

### ★ म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् की साधारण सभा :-

01. सभापति मंत्री, शालेय शिक्षा, म.प्र. शासन।  
 02. उपसभापति 1. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षा, म.प्र. शासन।  
 2. राज्यमंत्री, अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति, म.प्र. शासन।

### ★ सदस्य (पदेन सदस्य)

01. राज्य शासन के निम्नलिखित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।  
 1. स्कूल शिक्षा।  
 2. वित्त।  
 3. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण।  
 4. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (जन शक्ति नियोजन)।  
 5. महिला एवं बाल विकास।  
 6. पंचायत एवं ग्रामीण विकास।

02. आयुक्त, लोक शिक्षण।
03. आयुक्त, आदिवासी विकास।
04. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल।
05. संचालक, प्रौढ़ शिक्षा।
06. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।
07. प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम।
08. परियोजना संचालक, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन।
09. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) का एक प्रतिनिधि।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल।
11. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।

★ **मनोनीत सदस्य –** राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य – संख्या 13

★ **सदस्य सचिव –** संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड।

★ प्रदेश के 51 जिलों में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं के प्राचार्य एम.पी.एस.ओ. एस. के परीक्षा केन्द्र, संकलन केन्द्र तथा अग्रेषण/अध्ययन केन्द्र के प्रभारी होते हैं। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (Monitoring) में उक्त केन्द्र संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिला मुख्यालय स्थित शासकीय/अशासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल को (जिला कलेक्टर द्वारा अनुशंसित) को परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकता है।



## 1.2 मुख्य आकर्षण

★ **ऑनलाइन प्रवेश :-** माननीय प्रधान मंत्री जी के डिजीटल इंडिया एवं Cash Less लेनदेन के स्वप्न को साकार करने हेतु गांव से लेकर शहर तक प्रवेश एवं परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे भी किया जा सकता है। अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन शुल्क जमा किया जा सकता है। परीक्षा के पश्चात् उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी ऑन स्क्रीन किया जाकर ई-अंकसूची एवं माइग्रेशन भी विद्यार्थी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। हमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि त्रुटिरहित एवं पारदर्शी मूल्यांकन हेतु डिजीटलाइज्ड प्रक्रिया अपनाने वाला देश का यह पहला बड़ा राज्य बोर्ड है।

★ **आयु सीमा :-** किसी भी आयु वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात् न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं है।

★ **माध्यम :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. अपने पाठ्यक्रम मुख्य रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में चलाता है। मद्रसा बोर्ड में प्रवेशित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं उर्दू माध्यम से सम्पादित होती हैं।

★ **विषयों का चयन :-** चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में कक्षा 10 के 11 विषयों एवं कक्षा 12 के 18 विषयों में से अधिकतम दो भाषाओं और किसी एक संकाय (तीन विषयों) का संयोजन किया जा सकता है। न्यूनतम एक भाषा लेना अनिवार्य है। क्रेडिट के विद्यार्थियों हेतु उक्त विषयों में से कोई न्यूनतम तीन विषय परीक्षा हेतु चयनित किये जा सकते हैं। कक्षा 12 में कोई विद्यार्थी यदि व्यावसायिक विषय का चयन करना चाहता है तो वह अन्य शैक्षणिक विषयों के साथ एक व्यावसायिक विषय लेकर इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। किसी भी स्थिति में एक से ज्यादा व्यावसायिक विषय का चयन नहीं किया जा सकेगा। कक्षा 12 की समकक्षता योजना हेतु 10 वी के साथ आईटीआई उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए कोई एक भाषा और इन्टरप्रोनरशिप विषय के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होना होगा।

**रुक जाना नहीं योजनांतर्गत परीक्षार्थी द्वारा केवल अनुत्तीर्ण विषयों का ही चयन किया जा सकता है। विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।**

★ **पंजीकरण की वैधता :-** “रुक जाना नहीं” योजनांतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की पंजीकरण की वैधता एक वर्ष होगी। इस योजना में प्रवेशित को एक वर्ष में परीक्षा के अधिकतम दो अवसर माह जून एवं दिसम्बर में प्रदान किए जाएंगे। इसके पश्चात् विद्यार्थी को एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा आयोजित परम्परागत पाठ्यक्रम में पूर्ण क्रेडिट योजना के तहत अपना पंजीयन कराने की सुविधा होगी।

★ **क्रेडिट स्थानांतरण :-** इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. द्वारा मान्य मंडल/बोर्ड से उत्तीर्ण किये गये दो विषयों को क्रेडिट में स्थानांतरित करा सकता है। क्रेडिट सिर्फ उन्हीं विषयों का दिया जा सकेगा जो एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की विषय सूची में उपलब्ध है। जिन विद्यार्थियों के द्वारा क्रेडिट योजना में प्रवेश लिया जाता है और उनकी पूर्व मंडल की अंकसूची में ग्रेड अंकित है ऐसे विद्यार्थियों को अपने मंडलों से ग्रेड वाले विषयों के अंक प्रस्तुत करने पर ही क्रेडिट योजना में प्रवेश मान्य होगा। इस योजनांतर्गत विद्यार्थियों को अपने पूर्व मंडल से अनुत्तीर्ण परीक्षा की मूल अंकसूची ऑनलाइन पंजीयन करने के पश्चात् एक माह में एम.पी.एस.ओ.एस. कार्यालय में जमा करना होगी। रुक जाना नहीं योजनांतर्गत सम्मिलित विद्यार्थी दो अवसरों में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की परम्परागत निकटतम अगली परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकेगा। परन्तु नियमानुसार उसे अधिकतम दो विषयों की क्रेडिट ही स्थानांतरित की जा सकेगी।

★ **अंशतः क्रेडिट योजना :-** इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. द्वारा मान्य मंडल से हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी पूर्व के उत्तीर्ण छात्र अपने ज्ञानवर्धन हेतु कोई अन्य विषय/विषयों (अधिकतम चार) में परीक्षा देकर मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा पास कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत परीक्षा देने वाले छात्रों की अंकसूची में केवल उन विषयों के ही प्राप्तांक दर्शाए जायेंगे जिसमें उन्होंने परीक्षा दी है। प्राप्तांकों का योग अंकित नहीं होगा। इन छात्रों को माइग्रेशन एवं बोर्ड प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो सकेगा।

★ **श्रेणी सुधार योजना :-** केवल एम.पी.एस.ओ.एस. के ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10 वी या 12 वी की कक्षा उत्तीर्ण के बाद पुनः अंक/श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में बैठना चाहता है तो इन छात्रों के अंक/श्रेणी में सुधार होने पर नई अंकसूची एवं सुधार न होने पर पुरानी अंकसूची प्रदान की जायेगी। अंक/श्रेणी सुधार हेतु ऑनलाइन पंजीयन फार्म भरकर विषयवार निर्धारित परीक्षा पंजीयन शुल्क देना होगा। जिन विषयों के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा शामिल है उनमें अंकसुधार हेतु सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाएं देनी होंगी। इस योजना में अन्य मंडलों से उत्तीर्ण छात्रों को श्रेणी सुधार हेतु मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से श्रेणी सुधार की पात्रता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को 10 वीं अथवा 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उससे निकटतम अगली परीक्षा में सम्मिलित होने की ही पात्रता होगी। ये छात्र एक विषय अथवा अधिक विषयों में परीक्षा देकर अपने अंकों में/श्रेणी में सुधार कर सकेंगे। ऐसे छात्रों को परीक्षा पूर्व निर्धारित परीक्षा पंजीयन तिथि में निर्धारित परीक्षा पंजीयन शुल्क जमा करना होगा तथा पंजीयन फार्म पर स्पष्टरूप से अंक/श्रेणीसुधार हेतु अंकित करना होगा एवं मूल अंकसूची ऑनलाइन पंजीयन करने के पश्चात् एक माह में एमपीएसओएसईबी कार्यालय में जमा करना होगी। विद्यार्थियों के अंक/श्रेणीसुधार का एक अवसर दिया जायेगा।

★ सार्वजनिक परीक्षाएं वर्ष में दो बार मई-जून तथा नवम्बर-दिसम्बर में आयोजित की जाने का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में परीक्षाओं के माह में परिवर्तन संभावित है।

★ **“रुक जाना नहीं योजना” :-** इस योजना के तहत पंजीकृत विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2016-2017 में चार बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित थी। विद्यार्थियों के हितार्थ और पालकों से चर्चा के दौरान आये सुझावों के आधार पर वर्ष 2017-18 से योजनांतर्गत माह जून एवं दिसम्बर में ही परीक्षाएं आयोजित की जावेंगी।

रुक जाना नहीं योजनांतर्गत प्रविष्ट प्रथम अवसर के विद्यार्थियों हेतु अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। प्रविष्ट विद्यार्थियों की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही होगी, परन्तु अंकसूची म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ही जारी की जावेगी।

★ **सुविधा योजना :-** यह योजना कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु रखी गयी है। परीक्षार्थी कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् अपना पंजीयन करवा सकते हैं। विद्यार्थी के लिए यह सुविधा होगी कि वह दो शिक्षा सत्रों के मध्य आयोजित परीक्षा में एक से चार विषय लेकर इस योजनांतर्गत अपना अध्ययन निरंतर रखते हुए परीक्षा दे सकेगा। कक्षा 10 उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो शिक्षण सत्र पूर्ण होने पर वह कक्षा 12 की शेष अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। परीक्षार्थी को सम्पूर्ण 5 विषयों में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही कक्षा 12 की अंकसूची सह प्रमाण पत्र म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

★ **कक्षा 12 समकक्षता योजना :-** आईटीआई सहित कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक भाषा और इंटरप्रोनरशिप विषय उत्तीर्ण करने पर आईटीआई के तीन विषयों की क्रेडिट देते हुए कक्षा 12 की अंकसूची जारी की जावेगी।

★ **वर्चुअल कक्षाएँ :-** परीक्षार्थियों को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्थापित केन्द्रों पर आभाषी कक्षाओं (Virtual Classes) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।

### 1.3 अध्ययन के पाठ्यक्रम

वर्तमान में एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. + 2 हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा तक के कार्यक्रमों को संचालित करता है। रुक जाना नहीं योजना के तहत उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुये विद्यार्थी के महत्वपूर्ण एक वर्ष को बचाने की दृष्टि से कक्षा 11 की परीक्षा तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में संशोधन होने पर **पूर्व माध्यमिक परीक्षा पाठ्यक्रम भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।**

★ **हाईस्कूल परीक्षा पाठ्यक्रम :-** यह पाठ्यक्रम औपचारिक विद्यालयीन शिक्षा की कक्षा 10 के समकक्ष है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी औपचारिक पूर्व-योग्यता के इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपना पंजीयन करा सकता है। हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को कम से कम दो भाषाओं और तीन विषयों सहित कुल पांच विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विषय सूची अध्याय 5 "परीक्षा पाठ्यक्रम" में दी गयी है।

★ **+ 2 हायर सेकण्डरी परीक्षा पाठ्यक्रम :-** इस पाठ्यक्रम के लिए वे विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल द्वारा समकक्षता प्राप्त शिक्षा मंडल की सूची में से किसी बोर्ड से कक्षा 10 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जो + 2 हायर सेकण्डरी परीक्षा हेतु अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं वे विद्यार्थी कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् अपना पंजीयन करवा सकते हैं। विद्यार्थी के लिए यह सुविधा होगी कि वह दो शिक्षा सत्रों के मध्य आयोजित परीक्षा में एक से चार विषय लेकर (सुविधा योजनांतर्गत) अपना अध्ययन निरंतर रखते हुए परीक्षा दे सकेगा। कक्षा 10 उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो शिक्षण सत्र पूर्ण होने पर वह कक्षा 12 की शेष अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। सभी विषयों में उत्तीर्ण होने एवं दो शिक्षण सत्र पश्चात् ही उन्हें कक्षा 12 की अंकसूची सह प्रमाण पत्र म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

★ **व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा वर्तमान में हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रम में चार व्यावसायिक विषयों यथा आशुलिपि (हिन्दी), खाद्य संसाधन, कटिंग टेलरिंग एण्ड ड्रेस मटेरियल तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर असेम्बली एण्ड मेंटनेंस की शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है। छात्र यदि चाहे तो इन 4 व्यावसायिक विषयों में से कोई एक विषय, अन्य शैक्षणिक विषयों के साथ चयन कर सकता है। यह ध्यान रखा जावे कि छात्र अपने शैक्षणिक विषयों के साथ अधिकतम केवल एक ही व्यावसायिक विषय ले सकता है। चाहे वह अतिरिक्त विषय के रूप में ही क्यों न लिया गया हो। किसी भी अवस्था में विद्यार्थी एक से अधिक व्यावसायिक विषय का चयन नहीं कर सकेगा। आशुलिपि (हिन्दी) विषय के अंक, अंकसूची सह प्रमाण पत्र में अंकित रहेंगे। स्पीड के लिए अतिरिक्त कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. स्कूली स्तर के लिए शासन द्वारा संचालित एक मुक्त शिक्षा संस्थान होने के साथ-साथ परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला संस्थान भी है। एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी., माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल तथा अन्य राज्यों के शासन द्वारा संचालित बोर्ड की तरह एक राज्य स्तरीय बोर्ड है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अनुरूप नियमान्तर्गत संचालित है।

## प्रवेश

विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित, शाला त्यागी अथवा कामकाजी विद्यार्थी जो नियमित अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वे एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. में प्रवेश लेकर अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षाओं में बैठने हेतु कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से दो शैक्षणिक सत्रों के अंतराल उपरान्त कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी को हायर सेकण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र/अंकसूची प्रदान की जाती है। विद्यार्थी चाहे तो इन दो वर्ष के अंतराल में अपनी सुविधानुसार एक से चार विषय तक (सुविधा योजनांतर्गत) लेकर पंजीयन के तुरन्त पश्चात् होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। समस्त पांच विषयों का परीक्षा परिणाम तब ही घोषित किया जावेगा जब विद्यार्थी को हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने/पंजीयन पश्चात् दो वर्ष पूर्ण हो गये हों।

हाईस्कूल अथवा हायर सेकण्डरी परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व विद्यार्थी एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की वेबसाइट [www.mpsos.nic.in](http://www.mpsos.nic.in) से प्रवेश/परीक्षा नियमावली को डाउनलोड कर उसका पूर्णरूपेण अध्ययन करेगा। यदि विद्यार्थी स्वयं को उक्त नियमों के तहत प्रवेश/परीक्षा के लिए उपयुक्त पाता है तो एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा निर्धारित ऑनलाइन कियास्क (एम.पी. ऑनलाइन/आईसेक्ट ऑनलाइन) के माध्यम से अथवा घर बैठे अपने कम्प्यूटर से ऑनलाइन पंजीयन करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करेगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के पूर्व विद्यार्थी पंजीयन में की गई समस्त प्रविष्टियों को ध्यान पूर्वक पढ़कर यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करेगा। **नगद एवं चालान/बैंक ड्राफ्ट से शुल्क मान्य नहीं कि जावेगी।** सभी प्रपत्रों की एक प्रति छात्र अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों एवं विषय कोड तालिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्रेडिट योजना अंतर्गत प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा पूर्व मंडल की कक्षा 10 वीं अथवा कक्षा 12 वीं की मूल अंकसूची आवेदन करने के एक माह में म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, शिवाजी नगर, बोर्ड आफिस केम्पस, कार्यालय भोपाल में जमा करना होगी एवं एक सत्यापित स्केण्ड छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में प्रवेश मान्य नहीं होगा। एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. के केन्द्रों की सूची एवं विषयों की सूची इस प्रवेश नियमावली में संलग्न है। छात्र सीट्स उपलब्धता के आधार पर अपने निकटतम केन्द्र का चुनाव कर सकते हैं। प्रथमबार किये गये आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों में अंकित नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सरनेम, जन्मतिथि एवं अन्य प्रविष्टियों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें, इन प्रविष्टियों के आधार पर ही प्रवेश पत्र एवं अंकसूची तैयार की जावेगी। अतः कियास्क छोड़ने एवं हस्ताक्षर करने के पूर्व समस्त जानकारियों को स्वयं मूल दस्तावेजों से मिलान कर लें।

★ अर्हताएँ एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी की परीक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अर्हताएँ एवं दस्तावेजों की आवश्यकता होंगी :-

अर्हताएँ	हाईस्कूल पाठ्यक्रम	हायर सेकेण्डरी पाठ्यक्रम
1. आयु (अ) न्यूनतम आयु (ब) अधिकतम आयु (स) संलग्न किये जाने वाले जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र	कोई बंधन नहीं।  कोई बंधन नहीं। निम्नलिखित से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। 1. अध्ययनरत अंतिम शाला का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र <b>अथवा</b> 5वीं बोर्ड/8वीं बोर्ड/10वीं बोर्ड परीक्षा की मूल अंकसूची में दर्ज जन्मतिथि मान्य होगी। इस हेतु सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। <b>अथवा</b> 2. ग्रामपंचायत/नगरपंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति फार्म के साथ संलग्न करें। 3. जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है, और उनका जन्म 1989 के पूर्व हुआ है, उनको जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें सही जन्मतिथि अंकित हो।	कोई बंधन नहीं।  कोई बंधन नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल की अधिकृत सूची में मान्य बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा और उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र/ अंकसूची जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो।
2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कोई बंधन नहीं।	मा.शि.मं, म.प्र. भोपाल की अधिकृत सूची में मान्य बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा और उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र/अंकसूची संलग्न करें।
3. अ.जा./अ.ज.जा.के छात्रों के प्रवेश शुल्क में छूट हेतु।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र।
4. 40% या अधिक विकलांगता वाले छात्रों को प्रवेश/परीक्षा शुल्क में छूट।	जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र।	जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र।
5 बी.पी.एल. कार्डधारी छात्रों को प्रवेश हेतु शुल्क में छूट।	जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी अथवा म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।	जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी अथवा म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

## संचालित योजनाएँ

योजनाएँ	हाईस्कूल पाठ्यक्रम	हायर सेकेण्डरी पाठ्यक्रम
1. सामान्य योजनान्तर्गत।	1.जन्म प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति। 2.यदि औपचारिक शिक्षा प्राप्त की हो तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र/ अंतिम परीक्षा की मूल अंकसूची।	मा.शि.मं. मध्य प्रदेश/मा.शि.मं. के समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त मंडल/बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची की सत्यापित प्रति।
2. पूर्णक्रेडिट योजनान्तर्गत।	पूर्व मंडल की 10 वीं अनुत्तीर्ण की अंकसूची की मूलप्रति एवं सत्यापित छायाप्रति।	कक्षा 10 वीं पास अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति तथा कक्षा 12 वीं अनुत्तीर्ण की मूल अंकसूची एवं सत्यापित छायाप्रति।
3. अंशतःक्रेडिट योजनान्तर्गत।	मा.शि.मं. द्वारा मान्य बोर्ड से 10 वीं उत्तीर्ण होने पर बोर्ड अंकसूची की सत्यापित प्रति।	मा.शि.मं. द्वारा मान्य बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण होने पर बोर्ड अंकसूची की सत्यापित प्रति।
4. अंक/श्रेणीसुधार योजनान्तर्गत।	म.प्र. राज्य ओपन से 10 वीं उत्तीर्ण की मूल अंकसूची।	म.प्र.राज्य ओपन से 12 वीं उत्तीर्ण की मूल अंकसूची।
5. रुक जाना नहीं योजना	मध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र., भोपाल की उसी सत्र में अनुत्तीर्ण दर्शायी गई मूल अंकसूची। इस योजना में परीक्षाएँ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में ही होगी। भाषा के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू विषय चयन की ही सुविधा योजनान्तर्गत रखी गयी है।	मा.शि.मं. भोपाल की उसी सत्र में अनुत्तीर्ण दर्शायी गई मूल अंकसूची।
6. सुविधा योजना	परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही होगी परन्तु अंकसूची म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ही जारी की जावेगी।	सभी विषयों में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही उन्हें कक्षा 12 की अंकसूची सह प्रमाण पत्र म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की जावेगी।
7. समकक्षता योजना	—	आई.टी.आई. सहित कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक भाषा और इंटरप्रोनरशिप विषय उत्तीर्ण करने पर आई.टी.आई. के तीन विषयों की क्रेडिट देते हुए कक्षा 12की अंकसूची जारी की जावेगी।

★ **परीक्षा का माध्यम :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। विद्यार्थी माध्यम का चयन सोच विचार कर करें। एक बार आवेदन जमा करने के बाद माध्यम परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

★ **अध्ययन सामग्री :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की अध्ययन सामग्री बाजार में उपलब्ध नहीं रहती है। वर्तमान में अध्ययन सामग्री आप एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की **Web Site : www.mpsos.nic.in** से डाउनलोड कर सकते हैं।

★ **सम्पर्क कक्षाएँ/व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम :-** औपचारिक विद्यालयों की भाँति यहाँ कोई नियमित कक्षाएँ नहीं होती हैं। परन्तु छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए एक शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय के लिये केन्द्र पर दर्ज विद्यार्थियों के अनुपात में सम्पर्क कक्षाएँ आयोजित की जा सकती हैं। कुछ कक्षाएँ आभाषी (Virtual) और कुछ कक्षाएँ फेस टू फेस मोड में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम अंतर्गत सम्पादित की जा सकती हैं।

सम्पर्क कक्षाओं के आयोजन का अर्थ पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पढ़ाना नहीं है। यहाँ अध्यापन, मात्र आपका सहयोग करने और विषय संबंधी समस्या सुलझाने के लिये हैं। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम अनिवार्य नहीं है किन्तु इसमें सम्मिलित होना लाभकारी है। विस्तृत कार्य हेतु उपरोक्त वेबसाइट देखें।

★ **आव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र :-** आव्रजन प्रमाण पत्र उन छात्रों को दिया जाता है जिन्होंने एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. से हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी में सामान्य छात्र अथवा क्रेडिट छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण कर अंकसूची हासिल की हो। अंशतः क्रेडिट योजना के अन्तर्गत उत्तीर्ण छात्रों को माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

★ **बोर्ड प्रमाण पत्र :-** वर्ष 2011 के पूर्व वर्षों के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ उत्तीर्ण अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। प्रवेश सत्र परीक्षा नवम्बर 2011 से बोर्ड प्रमाण पत्र पृथक से प्रदाय नहीं किये जाते हैं। परीक्षार्थी को जारी की जाने वाली अंकसूची सह प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य होगी।

★ **पुनर्गणना :-** ऑनस्क्रीन (डिजीटाइज्ड) मूल्यांकन होने के कारण अंकों के जोड़ में त्रुटि होने की संभावना नगण्य है। अतः छात्र हित में उसके पालक के धन का अपव्यय न हो इस हेतु पुनर्गणना का प्रावधान नहीं रखा गया है। यदि किसी विद्यार्थी को अपनी स्वयं की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति/डाउनलोड प्रति की आवश्यकता महसूस होती है तो रू. 500/- का बैंक ड्राफ्ट संचालक म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल के नाम से देय हो संलग्न कर परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में आवेदन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं होगी।

★ **अंकसूची/प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा अंकसूची/प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि भी जारी की जाती है ऐसे विद्यार्थी जिनकी अंकसूची अथवा प्रमाण पत्र रखे गये हैं अथवा नष्ट हो गए हैं उन्हें संचालक को साधारण आवेदन जिसमें संपूर्ण विवरण, शपथ पत्र थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करने की प्रति एवं पृष्ठ क्र.-21 पर उल्लेखानुसार शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यलय को प्रस्तुत करना होंगे तत्पश्चात् ही इन्हें प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा।

★ **अंकसूची/प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा छात्रों को जारी की गई अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. कार्यालय में जमा कराना होगा। अंकसूची सह प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार छात्र की अंतिम

अंकसूची जारी होने के 90 दिवस अथवा प्रवेश से 05 वर्ष तक जो भी कम हो में ही किया जावेगा। इसके पश्चात् अंकसूची सह प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन में सुधार संबंधी कोई दावा मान्य नहीं होगा।

★ **कृपांक :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. में सम्पूर्ण पांच विषयों की प्रथम बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को एक विषय में 5 अंकों तक कृपांक प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

★ एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को उस विषय की प्रायोगिक परीक्षा जिसमें वह एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. से पूर्व में उत्तीर्ण है दोबारा बैठना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को उस विषय की सैद्धांतिक परीक्षा जिसमें वह उत्तीर्ण है दोबारा बैठना अनिवार्य नहीं है। किन्तु उपर्युक्तानुसार यह सुविधा क्रेडिट योजनांतर्गत छात्रों हेतु लागू नहीं है। क्रेडिट योजनांतर्गत छात्र यदि एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की परीक्षा में अपने पूर्व बोर्ड के अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा दे रहा है तो उसे सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों ही परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

★ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में पृथक-पृथक उत्तीर्ण छात्र को ही उस विषय की परीक्षा में उत्तीर्ण माना जावेगा।

★ यदि आपका विधिवत विषय परिवर्तन या अध्ययन केन्द्र परिवर्तन नहीं हुआ है तो आपको पूर्व विषय तथा पूर्व केन्द्र से ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। अन्यथा आपकी परीक्षा शून्य घोषित की जा सकेगी।

★ एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की खिड़की पर अथवा डाक द्वारा छात्रों से प्रवेश आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

★ एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा डाक से छात्र को नियमावली/प्रवेश आवेदन भेजे जाने का प्रावधान नहीं है।

★ हाईस्कूल या हायर सेकण्डरी परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित समयावधि में छात्र एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की वेबसाइट [www.mpsos.nic.in/](http://www.mpsos.nic.in/) मोबाइल एप **mpsos** से नियमावली एवं प्रवेश आवेदन फार्म डाउनलोड करेगा, छात्र नियमावली का पूर्णरूपेण अध्ययन करेगा तत्पश्चात् छात्र ऑनलाइन आवेदन फार्म/पंजीयन करवाकर आवश्यक अभिलेख संलग्न करें।

★ **परीक्षा केन्द्र/संकलन केन्द्र से सम्पर्क :-** समस्त जानकारियां वेबसाइट [www.mpsos.nic.in/](http://www.mpsos.nic.in/) मोबाइल एप **mpsos** पर उपलब्ध हैं। आप मात्र वर्चुअल कक्षाओं, प्रायोगिक कार्य तथा मूल अंकसूची सह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

★ एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. में प्रवेश लेते समय छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश आवेदन के साथ निर्धारित आवश्यक अहर्ताओं के अनुरूप जानकारी या प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो उनके प्रवेश आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, वे निरस्त माने जावेंगे।

★ एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. के अध्ययन केन्द्रों पर कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश हेतु स्थान सीमित रहते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि में आपको प्रवेश में किसी प्रकार की समस्या न हो और विलम्ब शुल्क न देना पड़े इसे ध्यान में रखते हुए कृपया अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि के पूर्व ही करें। एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. के परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश "प्रथम आएँ प्रथम पाएँ" के आधार पर है। अध्ययन/परीक्षा केन्द्रों पर स्थान पूरे हो जाने पर प्रवेश अवधि के जारी रहते हुए भी आपका प्रवेश फार्म स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

★ बिना प्रवेश पत्र के कोई भी छात्र अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है।

★ सभी योजनान्तर्गत प्रवेशित छात्रों की मूल अंकसूची का सत्यापन कराया जावेगा। उक्त अंकसूची अधिमान्य बोर्ड की न होने, फर्जी अथवा कूटरचित पाए जाने पर छात्र का प्रवेश अमान्य कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

★ प्रवेश/परीक्षा नियमावली में दिये गये समस्त स्थायी निर्देश एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. के नियम स्वरूप है। समस्त केन्द्राध्यक्ष एवं प्रवेशार्थियों के लिये यह अनिवार्यतः पालनीय है। नियमावली में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन संभावित है।

### ★ प्रवेश रद्द किया जाना ★

#### आपका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा यदि :-

- ☞ प्रवेश/परीक्षा पंजीयन आवेदन अधूरा भरा है।
- ☞ निर्धारित शुल्क से कम राशि जमा की गयी है।
- ☞ आवश्यक दस्तावेज पूरे स्केन नहीं किये हैं।
- ☞ आवेदन के समय आपके पास आवश्यक अर्हताएँ नहीं हैं।
- ☞ हाईस्कूल परीक्षा परिशिष्ट में वर्णित मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण नहीं की है।
- ☞ जाली दस्तावेज जमा किये गये हैं अथवा त्रुटिपूर्ण और गलत सूचना दी गयी हो
- ☞ निर्धारित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य स्थान से परीक्षा में बैठने पर।
- ☞ निर्धारित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों की परीक्षा देने पर।
- ☞ उक्त के अभाव में यदि आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाता है और आप परीक्षा में उपस्थित भी हो जाते हैं, तब भी आपका प्रवेश रद्द कर परीक्षा परिणाम रोक दिया

## सम्पर्क कक्षाएँ/प्रशिक्षण कार्यक्रम

औपचारिक विद्यालयों की भाँति यहाँ कोई नियमित कक्षाएँ नहीं होती हैं। परन्तु छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए एक शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय के लिये अध्ययन केन्द्र पर दर्ज विद्यार्थियों के अनुपात में सम्पर्क कक्षाएँ आयोजित की जा सकती हैं। कुछ कक्षाएँ आभाषी (Virtual) और कुछ कक्षाएँ फेस टू फेस मोड में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम अंतर्गत सम्पादित की जावेंगी।

सम्पर्क कक्षाओं के आयोजन का अर्थ पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पढ़ाना नहीं है। यहाँ अध्यापन मात्र आपका सहयोग करने और समस्या सुलझाने के लिये है। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम अनिवार्य नहीं है किंतु इसमें सम्मिलित होना लाभकारी है।

★ **अध्ययन सामग्री :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षा संस्थान नई दिल्ली से किये गये अनुबंध के आधार पर उनके विशेषज्ञों द्वारा स्वअध्ययन हेतु निर्मित करवाई गई पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।

यह अध्ययन सामग्री एन.आई.ओ.एस. तथा एम.पी.एस.ओ.एस. की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे वेबसाइट [www.mpsos.nic.in](http://www.mpsos.nic.in) / मोबाइल एप **mpsos** से डाउनलोड किया जा सकता है। इस अध्ययन सामग्री के उपयोग करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

★ **व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम :-** लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाएँ जिन ब्लॉक स्तरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संचालित है उसी में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा। अर्थात् यही केन्द्र अध्ययन केन्द्र होंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षक आपके सहयोग एवं विषय/विषयों की समस्या के समाधान हेतु आपका मार्गदर्शन करेंगे। व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है किन्तु यदि आप इसमें सम्मिलित होते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इन कार्यक्रमों में आपसे अपेक्षा है कि :-

- ☞ आपको स्व अध्ययन के दौरान जो संदेह और समस्या उत्पन्न हुई है उन्हें दूर करेंगे।
- ☞ केन्द्र पर उपस्थित अन्य साथियों के साथ अपनी अध्ययन संबंधी समस्याओं पर चर्चा करेंगे।
- ☞ केन्द्र पर उपलब्ध विषय से संबंधित दृश्य श्रव्य सामग्री/वीडियो फिल्में तथा सीडी का उपयोग करेंगे।
- ☞ शिक्षकों के सानिध्य में अपने कौशल और क्षमताओं का विकास करने के लिए आवश्यक प्रायोगिक कार्य करेंगे और केन्द्र पर अनुशासित रहकर अपनी शालीनता का परिचय देंगे।

वर्चुअल कक्षाओं की समय सारणी **Web Site : [www.mpsos.nic.in](http://www.mpsos.nic.in)** पर अपलोड की जावेगी।

**वीडियो कार्यक्रम** – एन.आई.ओ.एस.ई.बी. के माध्यम से प्रत्येक शुक्रवार प्रातः 5:02 से 5:25 बजे तक दूरदर्शन डीडी-1 पर प्रतिदिन सायं 6:30 से 7:00 बजे तक शैक्षिक चैनल ज्ञानदर्शन पर।

**आडियो कार्यक्रम** – प्रति शुक्रवार से रविवार तक प्रातः 8:30 से 9:00 बजे तक एफ.एम. रेडियो पर और पुनः सायं 4:30 से 5:00 बजे तक आडियो कार्यक्रम (एन.आई.ओ.एस. द्वारा प्रसारित ज्ञानवाणी 105.6 मेगाहर्ट्ज पर)

## एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. में पढ़ाई कैसे करें

- ☞ आप यह अच्छी तरह से समझ लें कि एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. इस प्रकार का नियमित विद्यालय नहीं है, जिसमें शायद आपने पहले पढ़ाई की होगी।
- ☞ आपको अपनी स्व अध्ययन सामग्री एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की अधिकृत वेबसाइट **www.mpsos.nic.in** / मोबाइल एप **mpsos** से डाउनलोड करना होगी। आपके लिये तैयार इस सामग्री से आप स्वयं को पढ़ना होगा।
- ☞ आप अपनी अध्ययन सामग्री ध्यान से पढ़ें। यह सामग्री विशेष रूप से स्व-अध्ययन के लिए बनाई गई है। आप अपने नोट्स बनाइए, जहाँ समझ न आए वहाँ निशान लगाइए, और सामग्री में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए।
- ☞ कृपया ध्यान दें कि व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) वैसी कक्षाओं की तरह नहीं होते, जिनमें आपने अपने स्कूलों में भाग लिया होगा। यहाँ आप अपने संदेह दूर कर सकते हैं। मार्गदर्शन ले सकते हैं और अपने लिखित कार्यों/परियोजनाओं/रिकार्ड पुस्तिकाओं की जांच करा सकते हैं। आप पढ़ाई में सहायता के लिए अपने मित्र-समूह से भी मिलेंगे।
- ☞ आपका परीक्षा केन्द्र/अध्ययन केन्द्र आपके लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा। यहाँ आपको अपने पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
- ☞ कृपया अपने परीक्षा केन्द्र/अध्ययन केन्द्र में पुस्तकालय, ऑडियो-वीडियो कार्यक्रमों और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाइए।
- ☞ आंतरिक मूल्यांकन (यदि कोई हो) और आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं आपके केन्द्र पर ही आयोजित होंगी।
- ☞ आप अपना परीक्षा शुल्क ऑनलाइन द्वारा समय पर जमा करें, जिससे आप परीक्षा में बैठने से वंचित न रह जाएं। अन्य कोई शुल्क आपको किसी को नगद नहीं देना है।
- ☞ परीक्षा की तिथियों की जानकारी संस्था की वेबसाइट **www.mpsos.nic.in** / मोबाइल एप **mpsos** से प्राप्त करें।
- ☞ आपको परीक्षाओं में बैठने के लिए एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. से एक प्रवेश पत्र ऑनलाइन निकालना होगा।
- ☞ परीक्षा परिणामों की घोषणा के बाद ही आप अपनी अंकसूची सह प्रमाण पत्र एवं माइग्रेसन प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे निकाल सकते हैं।
- ☞ आप विभिन्न जानकारियों जैसे परीक्षा तिथियां, प्रवेश पत्र, समय सारणी, परीक्षा परिणाम आदि के लिए एम.पी.एस.ओ.एस. की अधिकृत वेबसाइट **www.mpsos.nic.in** / मोबाइल एप **mpsos** का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

## मूल्यांकन

यह हमारे लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2016 से आयोजित परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्णतः डिजीटाइज्ड पद्धति से किया जा रहा है। भारत वर्ष के बड़े राज्यों में से एक हमारे राज्य स्थित मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् ही ऐसा प्रथम राज्य है जिसमें त्रुटि रहित एवं पारदर्शी मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी की उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैनिंग करवाकर डिजीटाइज्ड रूप में बदलते हुए ऑन स्क्रीन मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई गई है। इस पद्धति से विद्यार्थी और मूल्यांकनकर्ता दोनों लाभान्वित हुये हैं। विद्यार्थियों को त्रुटि रहित, पारदर्शी एवं कम समय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होता है, और मूल्यांकनकर्ताओं को प्रश्न पत्र, माडल उत्तर पत्रक देखने, बार-बार उत्तरपुस्तिका के पृष्ठ पलटने तथा अंकों को लिखने एवं उन्हें केरीफार्वर्ड करने जैसे जटिल कार्यों से मुक्ति मिली है।

★ **परीक्षा के अवसर :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा नामक भूत के भय से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है। जिससे विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्त रखा जा सके। इस हेतु विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे सभी अथवा कुछ विषय जिनकी तैयारी वे आसानी से कर सकते हैं उनको लेकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको परीक्षा में जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी क्षमता और रुचि अनुसार अच्छी तरह से पढ़ाई करें और तभी परीक्षा दें जब आप उसके लिए तैयार हो जाये।

रुक जाना नहीं योजना के अतर्गत सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को एक वर्ष में अधिकतम दो अवसर प्रदान किये जाते हैं।

★ **परीक्षा का माध्यम:-** परीक्षाओं के प्रश्न पत्र द्विभाषी हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। आप अपनी परीक्षा में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में उत्तर लिख सकते हैं।

★ **आयोजित परीक्षाएँ :-**

ब्लॉक	परीक्षा तिथि
◆ प्रथम ब्लॉक 01 सितम्बर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक आवेदन करने वाले नवीन विद्यार्थी।	— नवम्बर-दिसम्बर 2019
◆ द्वितीय ब्लॉक 01 मार्च 2019 से 31 अगस्त 2019 तक आवेदन करने वाले नवीन विद्यार्थी।	— मई-जून 2020

★ **प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षाएं :-** प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षाएं वर्ष में दो बार मई-जून और नवंबर-दिसम्बर माह में आयोजित की जाना प्रस्तावित हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं आपके परीक्षा केन्द्र पर निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सम्पन्न होगी :-

1. केन्द्र पर दर्ज ऐसे परीक्षार्थी जो प्रथमबार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं अथवा जिन विद्यार्थियों ने क्रेडिट योजना के तहत प्रवेश लेकर प्रायोगिक विषयों का चयन किया है अथवा पूर्व प्रायोगिक परीक्षा में वे या तो अनुपस्थित रहे हैं अथवा अनुत्तीर्ण रहे हैं।
2. परीक्षा कार्य हेतु आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक की नियुक्ति केन्द्राध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन से करेंगे। बाह्य परीक्षक स्थानीय होगा एवं उसे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
3. ओपन स्कूल परम्परागत, रूक जाना नहीं योजना एवं मदरसा बोर्ड के समस्त परीक्षा केन्द्राधिकारी, मा.शि.मं अनुसार ही अपने केन्द्र पर सैद्धांतिक परीक्षा समाप्ति के पूर्व समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करायेंगे।
4. एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. की वेबसाइट पर परीक्षा उपयोगी समस्त प्रपत्र अपलोड किये गये हैं जिनका उपयोग प्रायोगिक परीक्षा में किया जावे। किसी कारण ये प्रपत्र उपलब्ध न हो सकें तो मंडल के प्रपत्रों में ही आवश्यक संशोधन कर प्रायोगिक परीक्षा, केन्द्राध्यक्ष संपन्न करायेंगे।
5. विषयवार प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तकों को आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, पद, संस्था का नाम एवं हस्ताक्षर उपरांत नियमानुसार ई.पी.,डी.पी. लिफाफे में रखकर संकलन केन्द्र पर जमा करें। रूक जाना नहीं योजना अंतर्गत परीक्षाएं एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार माह जून एवं दिसम्बर में सम्पन्न होंगी।

**शुल्क :-** म.प्र. राज्य ओपन स्कूल द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित शुल्क विवरण तालिका में दर्शाया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर शुल्क एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराएँ। प्रवेश पंजीयन हेतु म.प्र. राज्य ओपन स्कूल कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कम/बिना शुल्क भरे जाने की स्थिति में प्रवेश आवेदन पत्र अमान्य होकर निरस्त हो जायेंगे।

वर्तमान व्यवस्था अनुसार ओपन स्कूल (परम्परागत) में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र एवं शुल्क आईसेक्ट ऑनलाइन तथा रूक जाना नहीं योजना का पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराना होगा। सम्पूर्ण शुल्क की जानकारी नीचे तालिका में दिये गये विवरण अनुसार दी गई है।

### 👉 शुल्क विवरण तालिका 👈

विषय	हाईस्कूल सामान्य	बी.पी.एल.कार्डधारी,अनु. जाति/अ.ज.जा. महिला एवं 40% या अधिक विकलांग	हायर सेकण्डरी सामान्य	बी.पी.एल.कार्डधारी,अनु. जाति/अ.ज.जा. महिला एवं 40% या अधिक विकलांग
एक विषय	605.00 रु.	415.00 रु.	730.00 रु.	500.00 रु.
दो विषय	1210.00 रु.	835.00 रु.	1460.00 रु.	960.00 रु.
तीन विषय	1500.00 रु.	1010.00 रु.	1710.00 रु.	1110.00 रु.
चार विषय	1760.00 रु.	1160.00 रु.	1960.00 रु.	1260.00 रु.
पांच विषय	2010.00 रु.	1310.00 रु.	2210.00 रु.	1410.00 रु.
छः विषय	2060.00 रु.	1360.00 रु.	-----	-----

★ अन्य विविध शुल्क :- आवश्यकता के आधार पर निम्नानुसार विविध शुल्क देय होगा :-

क्र.	विविध मद	शुल्क रू.
1	विषय परिवर्तन (प्रति विषय)	200.00
2	केन्द्र परिवर्तन	200.00
3	डुप्लीकेटबोर्ड प्रमाण पत्र (10 वर्ष पूर्व तक)	300.00
4	डुप्लीकेटबोर्ड प्रमाण पत्र (10 वर्ष से ऊपर)	500.00
5	प्रतिलिपि अंकसूची/माइग्रेशन प्रमाण पत्र (10 वर्ष पूर्व तक)	300.00
6	प्रतिलिपि अंकसूची/माइग्रेशन प्रमाण पत्र (10 वर्ष से ऊपर)	500.00
7	अंकसूची में अंक सुधार (90 दिवस)	300.00
8	अंकसूची में नाम/पिता के नाम/माता के नाम/जन्मतिथि में आंशिक सुधार (5 वर्ष तक)	300.00
9	दस्तावेजों का सत्यापन (अशासकीय रोजगार दाता और स्वयं विद्यार्थियों के लिये)	500.00
10	विदेश संस्थाओं/विश्वविद्यालयों (विदेश) के लिए सत्यापन	5000.00
11	प्रतिलिपि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति/डाउनलोड प्रति (प्रति उ.पु. परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस तक)	500.00

### नोट :-

- ☞ तालिका के सरल क्रमांक 01 से 12 तक का शुल्क संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल के नाम तैयार किए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा हो सकेगा।
- ☞ प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए 50 रुपये के स्टॉम्प पर नोटरी का शपथ पत्र आवश्यक है।
- ☞ दस्तावेजों की दूसरी प्राप्त करने के लिए बेवसाइड [www.mpsos.nic.in](http://www.mpsos.nic.in) / मोबाइल एप **mpsos** से आवेदन डाउनलोड करें।
- ☞ परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद, परीक्षार्थी अपनी ई-अंकसूची में कोई त्रुटि देखता है तो तो वह परिणाम की घोषणा के 10 दिवस में, त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ निःशुल्क आवेदन कर सकेगा। ऐसा न करने पर कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

★ **अंकों/श्रेणी में सुधार :-** एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. अंकों/श्रेणी में सुधार हेतु ऐसे पाठ्यक्रम/परीक्षा में, जो कि आप पहले ही एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. से पास कर चुके हों, पुनः परीक्षा की अनुमति देगा। यह सुविधा केवल एक बार ही दी जाएगी।

★ **उत्तर पुस्तिका की प्रति :-** उ.पु. की प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम की उद्घोषणा के 30 (तीस) दिवस के अंदर 500 रू. प्रति उ.पु. के मान से ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा। उक्त समय सीमा के पश्चात् उत्तरपुस्तिका की प्रति प्राप्ति के आवेदन निरस्त कर दिए जायेंगे।

★ **प्रमाण पत्र जारी करना :-** परीक्षा परिणामों की घोषणा होते ही अंकसूची ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की छपी हुई मूल अंकसूची आवश्यक दस्तावेज जमा कर अपने परीक्षाकेन्द्र से प्राप्त करेंगे।

★ आप निम्नलिखित कार्य अवश्य करें ★

म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

- ✎ नियमावली को ध्यान से पढ़ें। भविष्य में संदर्भ के लिए इसे संभालकर रखें।
- ✎ विषय चयन की स्वतंत्रता है फिर भी अपनी जरूरतों तथा भावी योजनाओं,, जैसे उच्च शिक्षा अथवा रोजगार आदि को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ्यक्रम/विषयों का चयन करें।
- ✎ यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए नियमावली में दी गई प्रवेश योग्यताओं को आप पूरा करते हों।
- ✎ आप स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन फार्म ठीक से जांच कर भरें तथा नाम, पता, जन्मतिथि आदि के बारे में सही सूचनाएं दें।
- ✎ यह सुनिश्चित करें कि आवेदन फार्म के साथ सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर दिए गए हैं।
- ✎ प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क ही जमा करें और कियोस्क से रसीद प्राप्त करें। रसीद में दर्शाई राशि से ज्यादा राशि ना दें।
- ✎ प्रवेश की पुष्टि होने के बाद एम.पी.एस.ओ.एस. की वेबसाइट/मोबाइल एप से अध्ययन सामग्री डाउनलोड करें।
- ✎ अपने अध्ययन केन्द्र में उसके द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, प्रायोगिक प्रशिक्षण सत्र में भाग लें।
- ✎ प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी अपनी परीक्षा तिथि हेतु विवरणिका के पृष्ठ क्रमांक 6 का अवलोकन करें।
- ✎ द्वितीय समय बोर्ड की परीक्षाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा आवेदन करने के तत्काल बाद होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

## परीक्षा पाठ्यक्रम

म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसका परीक्षा पाठ्यक्रम वही है जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। एम. पी.एस.ओ.एस.ई.बी. कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों हेतु चयनित केन्द्रों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। परीक्षार्थी एक समय में किसी एक ही व्यावसायिक विषय को अन्य शैक्षिक विषयों के साथ ले सकता है।

रुक जाना नहीं योजनांतर्गत सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रम से ही परीक्षाओं का आयोजन होता है।

★ परीक्षा हेतु विषयों का विवरण :- एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु विषयों का विवरण निम्नानुसार है:-

### हाईस्कूल हेतु विषय

कोड	विषय	प्रश्न पत्र संख्या	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समयावधि (घंटे)
201	हिन्दी	(1)	100	33	3
202	अंग्रेजी	(1)	100	33	3
204	मराठी	(1)	100	33	3
206	उर्दू	(1)	100	33	3
209	संस्कृत	(1)	100	33	3
211	गणित	(1)	100	33	3
212	विज्ञान	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	75 25	25 08	3
213	समाजिक विज्ञान	(1)	100	33	3
214	अर्थशास्त्र	(1)	100	33	3
215	व्यावसायिक अध्ययन (वाणिज्य)	(1)	100	33	3
216	गृह विज्ञान	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	75 25	25 08	3

### हायर सेकण्डरी हेतु विषय

म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

कोड	विषय	प्रश्न पत्र संख्या	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समयावधि (घंटे)
<b>समूह 'क' (न्यूनतम एक, अधिकतम दो)</b>					
301	हिन्दी	(1)	100	33	3
302	अंग्रेजी	(1)	100	33	3
309	संस्कृत	(1)	100	33	3
<b>समूह 'ख' (न्यूनतम एक, अधिकतम दो)</b>					
311	गणित	(1)	100	33	3
321	गृह विज्ञान	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	75 25	25 08	3
318	अर्थशास्त्र		100	33	3
<b>समूह 'ग' (न्यूनतम एक, अधिकतम दो)</b>					
312	भौतिक विज्ञान	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	75 25	25 08	3
315	इतिहास	(1)	100	33	3
319	व्यावसायिक अध्ययन	(1)	100	33	3
<b>समूह 'घ' (न्यूनतम एक, अधिकतम दो)</b>					
313	रसायन विज्ञान	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	75 25	25 08	3
317	राजनीति विज्ञान	(1)	100	33	3
<b>समूह 'ङ' (न्यूनतम एक, अधिकतम दो)</b>					
314	जीवविज्ञान	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	75 25	25 08	3
316	भूगोल	(1)	100	33	3
320	लेखांकन	(1)	100	33	3
<b>समूह 'च' (न्यूनतम एक, अधिकतम दो)</b>					
324	आशुलिपि हिन्दी	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	30 70	10 23	1 घं. 30 मि. 1 घं. 30 मि.
358	खाद्यसंसाधन	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	40 60	14 20	2 3
605	कटिंग टेलरिंग एण्ड ड्रेस मटेरियल	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	40 60	20 30	2 3
616	कम्प्यूटर हार्डवेयर असेम्बली सैद्धांतिक एण्ड मेन्टेनेंस	सैद्धांतिक (1) प्रायोगिक (1)	40 60	20 30	2 3

**नोट :-**विद्यार्थी अपने विषयों का चयन इस प्रकार करें कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश आसानी से हो सके।

1. समूह "क" से न्यूनतम एक भाषा और अधिकतम दो भाषाओं का चयन किया जा सकता है।
2. शेष समूह "ख", "ग", "घ", एवं "ङ" से एक-एक विषय (कुल तीन अथवा चार) चयनित।
3. समूह "च" में से अधिकतम एक व्यावसायिक विषय का चयन अन्य शैक्षणिक विषयों के साथ करने की सुविधा है। इस प्रकार कुल चयन किये गये विषय 5 से अधिक नहीं होंगे। यदि पूर्व में ही आपके द्वारा किसी एक व्यावसायिक विषय का चयन कर लिया गया है तो अतिरिक्त विषय के रूप में आप अन्य व्यावसायिक विषय का चयन नहीं कर सकेंगे।

✍ अध्ययन केन्द्र / वर्चुअल क्लास केन्द्र ✍

स.क्र	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
1	ग्वालियर	डबरा	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. डबरा
2	ग्वालियर	भितरवार	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. भितरवार
3	ग्वालियर	घाटीगांव	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. धांटीगांव
4	ग्वालियर	मुरार	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मुरार
5	नरसिंहपुर	चाँवरपाठा	शा. उत्कृष्ट विद्यालय चाँवरपाठा
6	नरसिंहपुर	चीचली	शा. उत्कृष्ट विद्यालय चीचली
7	नरसिंहपुर	गोटेगांव	शा. उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगांव
8	नरसिंहपुर	करेली	शा. उत्कृष्ट विद्यालय करेली
9	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	शा. उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर
10	नरसिंहपुर	साईखेड़ा	शा. उत्कृष्ट विद्यालय साईखेड़ा
11	श्योपुर	श्योपुर	शा. उत्कृष्ट विद्यालय श्योपुर
12	श्योपुर	विजयपुर	शा. उत्कृष्ट विद्यालय विजयपुर
13	इंदौर	इंदौर	शास.बाल विनय मन्दिर उत्कृष्ट उ.मा.इन्दौर
14	इंदौर	महू	शा. उत्कृष्ट विद्यालय महू
15	इंदौर	सांवेर	शा. उत्कृष्ट विद्यालय सांवेर
16	इंदौर	देपालपुर	शा. उत्कृष्ट विद्यालय देपालपुर
17	बुरहानपुर	बुरहानपुर	शा. सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय बुरहानपुर
18	शहडोल	ब्यौहारी	शा. उत्कृष्ट विद्यालय ब्यौहारी
19	गुना	आरोन	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. आरोन
20	गुना	बमोरी	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बमोरी
21	गुना	बीनागंज	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बीनागंज
22	गुना	गुना	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. गुना
23	गुना	राघौगढ़	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. राघौगढ़
24	टीकमगढ़	टीकमगढ़	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि.टीकमगढ़
25	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि.बलदेवगढ़
26	टीकमगढ़	निवाड़ी	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि.निवाड़ी
27	टीकमगढ़	जतारा	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि.जतारा

## ✍️ अध्ययन केन्द्र / वर्चुअल क्लास केन्द्र ✍️

स.क्र	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
28	टीकमगढ़	पलेरा	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि.पलेरा
29	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि.पृथ्वीपुर
30	रीवा	रीवा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मार्तण्ड क्र.-1 रीवा
31	रीवा	रायपुर कर्चु.	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बालक रायपुर कर्चु.
32	रीवा	मऊगंज	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मऊगंज
33	रीवा	ळनुमना	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. हनुमना
34	रीवा	त्यौथर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. त्यौथर
35	रीवा	सितलहा (जवा)	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सितलहा (जवा)
36	रीवा	गंगेव	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. गंगेव
37	रीवा	नईगढी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नईगढी
38	रीवा	सिरमौर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिरमौर
39	अशोकनगर	अशोकनगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. अशोकनगर
40	अशोकनगर	मुंगावली	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मुंगावली
41	अशोकनगर	चन्देरी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.चन्देरी
42	अशोकनगर	ईसागढ़	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. ईसागढ़
43	विदिशा	सिरोज	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिरोज
44	विदिशा	लटेरी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. लटेरी
45	विदिशा	कुरवाई	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. कुरवाई
46	विदिशा	ग्यारसपुर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. ग्यारसपुर
47	विदिशा	गंजबासौदा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. गंज बासौदा
48	विदिशा	विदिशा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. विदिशा
49	विदिशा	नटेरन	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नटेरन
50	उमरिया	उमरिया	शा.उत्कृष्ट सज्जन उ.मा.वि. उमरिया
51	उमरिया	मानपुर	शा.उत्कृष्ट बालक उ.मा.वि. मानपुर
52	कटनी	कटनी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधवनगर कटनी
53	कटनी	उमरियापान	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. उमरियापान
54	कटनी	बहोरीबंद	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.बहोरीबंद

✍ अध्ययन केन्द्र / वर्चुअल क्लास केन्द्र ✍

स.क्र	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
55	कटनी	रीठी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.रीठी
56	कटनी	बडवारा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बडवारा
57	कटनी	विजयराधवगढ़	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. विजयराधवगढ़
58	रायसेन	सिलवानी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिलवानी
59	रायसेन	गैरतगंज	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. गैरतगंज
60	रायसेन	बाडी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बाडी
61	रायसेन	उदयपुरा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. उदयपुरा
62	रायसेन	औबेदुल्लागंज	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. औबेदुल्लागंज
63	रायसेन	बेगमगंज	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बेगमगंज
64	रायसेन	साँची	शा.उ.मा.वि. साँची
65	दतिया	दतिया	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. दतिया
66	दतिया	सेवड़ा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सेवड़ा
67	दतिया	भाण्डेर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. भाण्डेर
68	सागर	सागर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सागर
69	सागर	राहतगढ़	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.राहतगढ़
70	सागर	जैसीनगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. जैसीनगर
71	सागर	केसली	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. केसली
72	सागर	देवरी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. देवरी
73	सागर	रहली	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. रहली
74	सागर	बंडा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.बंडा
75	सागर	शाहगढ़	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. शाहगढ़
76	सागर	मालथौन	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.मालथौन
77	सागर	खुरई	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. खुरई
78	सागर	बीना	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बीना
79	सतना	सतना	शा. उत्कृष्ट उमावि व्यंकट नं. 1 सतना
80	सतना	नागौद	शा. उत्कृष्ट उमावि नागौद
81	सतना	बाघेलन	शा. उत्कृष्ट उमावि रामपुर बाघेलान

## अध्ययन केन्द्र / वर्चुअल क्लास केन्द्र

स.क्र	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
82	सतना	अमरपाटन	शा. उत्कृष्ट उमावि अमरपाटन
83	सतना	मैहर	शा. उत्कृष्ट उमावि मैहर
84	सतना	उचेहरा	शा. उत्कृष्ट उमावि उचेहरा
85	सतना	रामनगर	शा. उत्कृष्ट उमावि रामनगर
86	सतना	मझगवां	शा. उत्कृष्ट उमावि मझगवां
87	सीधी	सीधी	शा. उत्कृष्ट उमावि क्र. 1 सीधी
88	सीधी	मझौली	शा. उत्कृष्ट उमावि मझौली
89	सीधी	रामपुर नैकिन	शा. उत्कृष्ट उमावि रामपुर नैकिन
90	सीधी	सिंहावल	शा. उत्कृष्ट उमावि सिंहावल
91	सिंगरौली	चितरंगी	शा. उत्कृष्ट उमावि चितरंगी
92	सिंगरौली	देवसर	शा. उत्कृष्ट उमावि देवसर
93	सिंगरौली	बैढन	शा.उत्कृष्ट उमावि बैढन
94	भोपाल	भोपाल	शा.सुभाष उत्कृष्ट उमावि भोपाल
95	भोपाल	बैरसिया	शा.बा.उत्कृष्ट उमावि बैरसिया
96	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	शास. उत्कृष्ट विद्यालय अमरवाड़ा
97	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	शास. उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा
98	छिंदवाड़ा	चौरई	शास. उत्कृष्ट विद्यालय चौरई
99	छिंदवाड़ा	मोहखेड़	शास. उत्कृष्ट विद्यालय मोहखेड़
100	छिंदवाड़ा	परासिया	शास. उत्कृष्ट विद्यालय परासिया
101	छिंदवाड़ा	पांडुर्णा	शास. उत्कृष्ट विद्यालय पांडुर्णा
102	छिंदवाड़ा	सौंसर	शास. उत्कृष्ट विद्यालय सौंसर
103	सिवनी	सिवनी	शा.उत्कृष्ट उमावि सिवनी
104	सिवनी	बरघाट	शा.उत्कृष्ट उमावि बरघाट
105	सिवनी	केवलारी	शा.उत्कृष्ट उमावि केवलारी
106	खंडवा	खंडवा	श्री रा.ना.उमावि खंडवा
107	खंडवा	छैगांवमाखन	शा.उत्कृष्ट उमावि छैगांवमाखन
108	खंडवा	पुनासा	शा.उत्कृष्ट उमावि पुनासा

## ✍ अध्ययन केन्द्र / वर्चुअल क्लास केन्द्र ✍

स.क्र	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
109	खंडवा	पंधाना	शा.उत्कृष्ट उमावि पंधाना
110	खंडवा	हरसूद	शा.उत्कृष्ट उमावि हरसूद
111	खंडवा	बलड़ी	शा.उत्कृष्ट उमावि बलड़ी
112	बालाघाट	वारासिवनी	शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी
113	बालाघाट	लांजी	शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लांजी
114	बालाघाट	किरनापुर	शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर
115	बालाघाट	कटंगी	शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कटंगी
116	बालाघाट	खैरलांजी	शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खैरलांजी
117	बालाघाट	लालबर्वा	शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्वा
118	बालाघाट	बलाघाट	शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट
119	छतरपुर	छतरपुर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.क्र-1 छतरपुर
120	छतरपुर	बिजावर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बिजावर
121	छतरपुर	राजनगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. राजनगर
122	छतरपुर	बड़ामलहरा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बड़ामलहरा
123	छतरपुर	बरीगढ़	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बारीगढ़
124	छतरपुर	नौगांव	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नौगांव
125	छतरपुर	बकस्वाहा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बकस्वाहा
126	छतरपुर	लवकुशनगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. लवकुशनगर
127	मुरैना	सबलगढ़	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सबलगढ़
128	मुरैना	कैलारस	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. कैलारस
129	मुरैना	पहाड़गढ़	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. पहाड़गढ़
30	मुरैना	जौरा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. जौरा
131	मुरैना	मुरैना	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मुरैना
132	मुरैना	अम्बाह	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. अम्बाह
133	मुरैना	पोरसा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. पोरसा
134	रतलाम	रतलाम	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.सागोद रोड रतलाम
135	रतलाम	जावरा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.जावरा

✍ अध्ययन केन्द्र / वर्चुअल क्लास केन्द्र ✍

स.क्र	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
136	रतलाम	पिपलौदा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.पिपलौदा
137	रतलाम	आलोट	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.आलोट
138	पन्ना	पन्ना	मनहर कन्या उ०मा०वि० पन्ना
139	पन्ना	अजयगढ़	उत्कृष्ट उ०मा०वि० अजयगढ़
40	पन्ना	पवई	उत्कृष्ट उ०मा०वि० पवई
141	पन्ना	गुन्नौर	उत्कृष्ट उ०मा०वि० गुन्नौर
142	पन्ना	शाहनगर	उत्कृष्ट उ०मा०वि० शाहनगर
143	दमोह	दमोह	उत्कृष्ट उ०मा०वि० दमोह
144	दमोह	हटा	उत्कृष्ट उ०मा०वि०.हटा
145	दमोह	पथरिया	शा. उत्कृष्ट उ०मा०वि० पथरिया
146	दमोह	जबेरा	शा.उत्कृष्ट उ०मा०वि० जबेरा
147	दमोह	पटेरा	शा. उत्कृष्ट उ०मा०वि० पटेरा
148	दमोह	बटियागढ़	श.उत्कृष्ट उ०मा०वि० बटियागढ़
149	दमोह	तेन्दूखेड़ा	शा.उत्कृष्ट उ०मा०वि० उत्कृष्ट तेन्दूखेड़ा
150	भिण्ड	अटेर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.अटेर
151	भिण्ड	भिण्ड	शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि.भिण्ड
152	भिण्ड	गोहद	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. गोहद
153	भिण्ड	लहार	शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि.लहार
154	भिण्ड	रौन	शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि.रौन
155	भिण्ड	मेंहगांव	शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि.मेंहगांव
156	धार	बदनावर	शा उत्कृष्ट विद्यालय बदनावर
157	उज्जैन	बड़नगर	उत्कृष्ट उ०मा०वि०बड़नगर
158	उज्जैन	घटिया	उत्कृष्ट उ०मा०वि०घटिया
159	उज्जैन	तराना	उत्कृष्ट उ०मा०वि०तराना
160	उज्जैन	महिदपुर	उत्कृष्ट उ०मा०वि०महिदपुर
161	उज्जैन	खाचरौद	उत्कृष्ट उ०मा०वि०खाचरौद
162	उज्जैन	उज्जैन	शा.उत्कृष्ट उ०मा०वि० उज्जैन

## ✎ अध्ययन केन्द्र / वर्चुअल क्लास केन्द्र ✎

स.क्र	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
163	नीमच	मंदसौर	शा.उत्कृष्ट उ०मा०वि० मंदसौर
164	नीमच	सीमामऊ	शा.उत्कृष्ट उ०मा०वि० सीमामऊ
165	नीमच	मल्हारगढ	शा.उत्कृष्ट उ०मा०वि० मल्हारगढ
166	नीमच	गरोट	शा.उत्कृष्ट उ०मा०वि० गरोट
167	नीमच	भानपुरा	शा.उत्कृष्ट उ०मा०वि० भानपुरा
168	नीमच	नीमच	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नीमच
169	नीमच	मनासा	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मनासा
170	नीमच	जावद	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. जावद
171	होशंगाबाद	होशंगाबाद	शास. उमावि होशंगाबाद
172	होशंगाबाद	बाबई	शास. उमावि बाबई
173	होशंगाबाद	सोहागपुर	शास. उमावि सोहागपुर
174	होशंगाबाद	पिपरिया	शास. उमावि पिपरिया
175	होशंगाबाद	बनखेड़ी	शास. उमावि बनखेड़ी
176	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	शास. उमावि सिवनी मालवा
177	शिवपुरी	शिवपुरी	शा०उत्कृष्ट उ.मा.वि.शिवपुरी
178	शिवपुरी	पिछोर	शा०उत्कृष्ट उ.मा.वि.पिछोर
179	शिवपुरी	खनियाधाना	शा०उत्कृष्ट उ.मा.वि.खनियाधाना
180	शिवपुरी	कोलारस	शा०उत्कृष्ट उ.मा.वि.कोलारस
181	शिवपुरी	बदरवास	शा०उत्कृष्ट उ.मा.वि.बदरवास
182	शिवपुरी	करैरा	शा०उत्कृष्ट उ.मा.वि.करैरा
183	शिवपुरी	पोहरी	शा०उत्कृष्ट उ.मा.वि.पोहरी
184	शिवपुरी	नरवर	शा०उत्कृष्ट उ.मा.वि.नरवर
185	देवास	देवास	उत्कृष्ट विद्यालय देवास
186	देवास	सोनकच्छ	उत्कृष्ट विद्यालय सोनकच्छ
187	देवास	टोंकखुर्द	उत्कृष्ट विद्यालय टोंकखुर्द
188	देवास	बागली	उत्कृष्ट विद्यालय बागली
189	देवास	कन्नौद	उत्कृष्ट विद्यालय कन्नौद

## ✍️ अध्ययन केन्द्र / वर्चुअल क्लास केन्द्र ✍️

स.क्र	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
190	देवास	खातेगांव	उत्कृष्ट विद्यालय खातेगांव
191	शाजापुर	आगर	शास. उत्कृष्ट विद्यालय आगर
192	शाजापुर	बड़ोद	शास. उत्कृष्ट विद्यालय बड़ोद
193	शाजापुर	कालापील	शास. उत्कृष्ट विद्यालय कालापील
194	शाजापुर	बड़ोदिया	शास. उत्कृष्ट विद्यालय मो. बड़ोदिया
195	शाजापुर	नलखेड़ा	शास. उत्कृष्ट विद्यालय नलखेड़ा
196	शाजापुर	शाजापुर	शास. उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर
197	शाजापुर	शुजालपुर	शास. उत्कृष्ट विद्यालय शुजालपुर
198	शाजापुर	सुसनेर	शास. उत्कृष्ट विद्यालय सुसनेर
199	हरदा	हरदा	डॉ. बी आर अम्बेडकर उत्कृष्ट विद्यालय हरदा
200	हरदा	खिरकिया	शा. उत्कृष्ट विद्यालय खिरकिया
201	हरदा	टिमरनी	शा. उत्कृष्ट विद्यालय टिमरनी
202	सीहोर	बुदनी	शा. उत्कृष्ट उमावि बुदनी
203	सीहोर	सीहोर	शा. उत्कृष्ट उमावि सीहोर
204	सीहोर	इछावर	शा. उत्कृष्ट उमावि इछावर
205	सीहोर	आष्टा	शा. उत्कृष्ट उमावि आष्टा
206	सीहोर	नसरुल्लागंज	शा. उत्कृष्ट उमावि नसरुल्लागंज
207	राजगढ़	राजगढ़	शा. उत्कृष्ट उमावि राजगढ़
208	राजगढ़	ब्यावरा	शा. उत्कृष्ट उमावि ब्यावरा
209	राजगढ़	नरसिंहगढ़	शा. उत्कृष्ट उमावि नरसिंहगढ़
210	राजगढ़	सारंगपुर	शा. उत्कृष्ट उमावि सारंगपुर
211	राजगढ़	खिलचीपुर	शा. उत्कृष्ट उमावि खिलचीपुर
212	राजगढ़	जीरापुर	शा. उत्कृष्ट उमावि जीरापुर
213	बैतूल	मुलताई	शास.उत्कृष्ट उमावि.मुलताई
214	बैतूल	आमला	शास.उत्कृष्ट उमावि.आमला
215	बैतूल	प्र. पट्टन	शास.उत्कृष्ट उमावि.प्र.पट्टन
216	बैतूल	कसरावद	शा.बा.उत्कृष्ट उमावि कसरावद

✎ अध्ययन केन्द्र / वर्चुअल क्लास केन्द्र ✎

स.क्र	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
217	बैतूल	बड़वाह	शा.बा.उत्कृष्ट उमावि बड़वाह
218	जबलपुर	जबलपुर	प.लज्जा शंकर झा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.जबलपुर
219	जबलपुर	पनागर	शास.उत्कृष्ट उमावि.पनागर
220	जबलपुर	सिहोरा	शास.उत्कृष्ट उमावि.सिहोरा
221	जबलपुर	मझौली	शास.उत्कृष्ट उमावि.मझौली
222	जबलपुर	पाटन	शास.उत्कृष्ट उमावि.पाटन
223	जबलपुर	शाहपुरा	शास.उत्कृष्ट उमावि.शाहपुरा
224	जबलपुर	कुण्डम	शास.उत्कृष्ट उमावि.कुण्डम

## संकलन केन्द्रों की सूची

क्र.	जिले का नाम	संकलन केन्द्र का नाम
1	कटनी	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधवनगर कटनी
2	उमरिया	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. उमरिया
3	शहडोल	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.रघुराज नं. -2 शहडोल
4	अनूपपुर	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. अनूपपुर
5	बैतूल	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बैतूल
6	सिवनी	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी
7	छिंदवाड़ा	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. छिन्दवाड़ा
8	बालाघाट	प्राचार्य शास.म.ल.ब.उ.मा.वि. बालाघाट
9	नरसिंहपुर	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नरसिंहपुर
10	जबलपुर	प्राचार्य शास.एम.एल.बी.कन्या उ.मा.वि. जबलपुर
11	मंडला	प्राचार्य शास.रानी अवंतीबाई कन्या उ.मा.वि. मंडला
12	डिण्डोरी	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. डिण्डोरी
13	होशंगाबाद	प्राचार्य, शास एस.एन.जी उ.मा.वि. होशंगाबाद
14	हरदा	प्राचार्य डॉ. बी.आर. अम्बेडकर उत्कृष्ट उ.मा.वि. हरदा
15	रायसेन	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. रायसेन
16	विदिशा	प्राचार्य शास.म.ल.ब.उ.मा.वि. विदिशा
17	सीहोर	प्राचार्य शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. सीहोर
18	राजगढ़	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट विद्यालय राजगढ़
19	देवास	प्राचार्य श्री नारायण विद्या मंदिर क्र.-2 उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिविल लाइन देवास
20	इंदौर	प्राचार्य शा.मालव.क.उ.मा.वि. मोती तबेला इंदौर
21	धार	प्राचार्य शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र-1 धार
22	झाबुआ	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. झाबुआ
23	अलीराजपुर	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. अलीराजपुर
24	बड़वानी	प्राचार्य, शासकीय कन्या उ.मा.वि. बड़वानी
25	खरगोन	प्राचार्य, शास.दे.अ.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.-1 खरगोन
26	खण्डवा	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. खण्डवा
27	बुरहानपुर	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बुरहानपुर

## संकलन केन्द्रों की सूची

क्र.	जिले का नाम	संकलन केन्द्र का नाम
28	शाजापुर	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. शाजापुर
29	उज्जैन	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधव नगर उज्जैन
30	आगर मालवा	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. आगर
31	रतलाम	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सागोद रोड रतलाम 731024
32	मंदसौर	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मंदसौर
33	नीमच	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नीमच
34	गुना	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. गुना
35	अशोकनगर	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. अशोकनगर
36	शिवपुरी	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र-1 शिवपुरी
37	दतिया	प्राचार्य शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. दतिया
38	ग्वालियर	प्राचार्य, शा.पदमा उ.मा.वि.कम्पू लशकर ग्वालियर
39	भिण्ड	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि.भिण्ड
40	मुरैना	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मुरैना
41	श्योपुर	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. श्योपुर
42	भोपाल	प्राचार्य, शास. नवीन कन्या उ.मा.वि.तुलसीनगर भोपाल
43	दमोह	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. दमोह
44	पन्ना	प्राचार्य शा.मनहर उ.मा.वि. पन्ना
45	सतना	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. व्य. क्र.-1 सतना
46	रीवा	प्राचार्य शास.उ.मा.वि. मार्तंड क्र-2 रीवा
47	सीधी	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. व्य. क्र.1 सीधी
48	सिंगरौली	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. बैढ़न
49	सागर	प्राचार्य शास.म.ल.ब.उ.मा.वि. क.-1, सागर
50	टीकमगढ़	प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. टीकमगढ़
51	छतरपुर	प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.-1 छतरपुर

## 1 2. प्रारूप विषय परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

नोट :-

1. पूर्ण क्रेडिट योजनान्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों को क्रेडिट विषयों में विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं है।
2. विषय परिवर्तन एक परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त ही मान्य होगा।

प्रति,

संचालक महोदय  
म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद्  
शिवाजी नगर, भोपाल – 462011

विषय : विषय परिवर्तन हेतु आवेदन।

महोदय,

मैंने परीक्षा वर्ष.....में विषय/विषयों.....का चयन किया था। चयनित विषयों के स्थान पर मैं आगामी परीक्षा में विषय/विषयों.....से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता हूँ। कृपया विषय परिवर्तन कर मुझे सूचित करने का कष्ट करें। आवश्यक शुल्क का ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

- (1) विद्यार्थी का नाम .....
- (2) पिता का नाम .....
- (3) नामांकन क्रमांक .....
- (4) प्रवेश की तिथि (जब प्रवेश लिया) .....
- (5) अध्ययन केन्द्र का नाम .....
- (6) जिला .....
- (7) 1. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक तथा दिनांक .....
2. जारीकर्ता बैंक का नाम/स्थान .....

अध्ययन केन्द्र प्राचार्य का अग्रेषण

क्र. .... दिनांक .....  
अनुशंसा की जाती है

हस्ताक्षर आवेदक

दिनांक .....  
नाम .....

हस्ता.

अध्ययन केन्द्र प्राचार्य  
सील

पत्र व्यवहार का पता .....

दूरभाष/मोबाइल क्र. ....

पूर्व में चयनित विषय	विषय कोड	परिवर्तन हेतु आवेदित विषय	विषय कोड
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

विषय परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क रु. 200/- प्रति विषय का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित अवधि में जमा करना होगा।

## मान्यता

एम.पी.एस.ओ.एस.ई.बी.की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की परीक्षाओं को निम्न बोर्ड/मण्डल/संस्थान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है :-

- ☞ माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल ।
- ☞ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मण्डल पुणे । (अंग्रेजी विषय अनिवार्य की शर्त पर)
- ☞ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ।
- ☞ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) दिल्ली ।
- ☞ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान, दिल्ली ।
- ☞ म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ।
- ☞ भारतीय सेना (सर्विस सिलेक्शन बोर्ड) ।
- ☞ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) ।
- ☞ भारतीय शिक्षा बोर्ड मण्डल (कोबसे) ।

## तालिका – शुल्क छूट प्राप्त वर्ग हेतु प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी

क्र.	प्रमाण पत्र	प्राधिकारी
1.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के प्रमाण पत्र	अ. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा म.प्र. शासन जाति के प्रमाण पत्र द्वारा इस हेतु समय-समय पर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी ब. तहसीलदार/नायब तहसीलदार/क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग स. जिला संयोजक/सहा. परियोजना प्रशासक, आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग विभाग । द. परियोजना प्रशासक/अधिकारी (वृहद/मध्यम/लघु एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना)
2.	बी.पी.एल. कार्ड	जिला खाद्यनियंत्रक अधिकारी अथवा म.प्र.शासनद्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी
3.	विकलांगता प्रमाण पत्र	जिला चिकित्सा बोर्ड

प्रवेश शुल्क में सभी महिलाओं को नियमानुसार छूट है ।

**संकल्प**

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल की स्थापना।

---★ ★---

मंत्रि परिषद् आदेश दिनांक 28 मार्च 1995 को निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की जाए।

मुख्य सचिव,  
(एन.एस. सेठी)

राष्ट्रीय ओपन स्कूल  
(भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन)  
बी-31 वीं, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली- 110048

To,

The Director,  
MP. State Open School  
Board of Secondary Education Premises  
Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)

Subject :- Recognition to MPSOs examinations by Noc.

Sir,

Kindly refer to your letter no. MPSOS/96/1156 dated 12th Dec., 96 addressed to chairman, Noc, on the subject cited above.

In this connection, I am to inform you that the National Open School, now I clhi hereby recognised secondary and sr. secondary examinations of is equivalent to secondary and sr. secondary examinations with the condition that students shoul pass in 5 subjects including it list one language (Hindi/English).

Yours Faithfully

(S.N. Gupta)  
Asstt. Director(Admn.)

## माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक / 366 / मूल्यांक. / 1 / 96

भोपाल, दिनांक 4.10.96

### विज्ञप्ति

संचालक म.प्र. राज्य ओपन स्कूल द्वारा वर्ष 1997 से प्रारम्भ की जाने वाली हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी परीक्षा को मंडल की हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य किया जाता है।

(मंडल पाठ्यचर्या समिति की बैठक दिनांक 31.8.96 में लिये गये निर्णयानुसार।)

कृते सचिव

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 4.10.96

पृ.क्रमांक / 367 / मूल्यांक. / 1 / 96

प्रतिलिपि :-

1. मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थायें।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल, मा.शि.मंडल, भोपाल परिसर, भोपाल।
4. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, रायपुर, बिलासपुर, रीवा, सागर, जबलपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर।
5. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मं., भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, रायपुर, बिलासपुर।
6. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् भोपाल।
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान अरविन्द मार्ग, दिल्ली।
8. समस्त विश्व विद्यालय म.प्र.।
9. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सुन्दर लाल शर्मा, व्यावसायिक शिक्षा मंडल, एम.पी. नगर, भोपाल।  
को ओर सूचनार्थ एवं अग्रेषित।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश  
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-52/112/98/सी-3/38  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5.5.98

संचालक,  
म.प्र. राज्य ओपन स्कूल  
माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर  
भोपाल।

विषय :- ओपन स्कूल की कक्षा 12 की परीक्षा को समकक्ष मान्यता प्रदान करना।  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एस.ओ.एस./स्था./97/914 दि. 17.12.97

—★ ★—

मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल द्वारा संचालित कक्षा 12 वीं की परीक्षा को समकक्ष मान्यता देने का मुद्दा विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 57 वीं बैठक में दिनांक 19 मार्च, 98 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

2. समिति ने मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल की कक्षा 12 वीं की परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 12 वीं की परीक्षा के समकक्ष मान्यता देने का निर्णय लिया है। इसे सभी विश्वविद्यालयों को संसूचित किया जा रहा है ताकि ओपन स्कूल से उत्तीर्ण छात्रों को स्नातक भाग-1 में प्रवेश लेने में कोई कठिनाई न हो।

3. कृपया अवगत हो।

(डॉ. शशी राय)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ-52/112/98/सी-3/38  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 5.5.98

कुलपति, (समस्त) विश्वविद्यालय, म.प्र.।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा विभाग

महाराष्ट्र राज्य  
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल  
शिवाजीनगर, पुणे 411010

To,

The Director,  
Madhya Pradesh Open School,  
Secondary Board Premises  
Shivaji Nagar, Bhopal - 462011

Subject :- Recognition and equivalence to Madhya Pradesh Open School examinations.

Ref. :- Your letter no. S.O.S./97/1669,

Sir,

With reference to your letter dated 27/3/97 on the subject mentioned above, I have to state that, the High-School (10th std.) examination of Madhya Pradesh Open School is considered equivalent to S.S.C. examination (10th std) of our Board. If students have offered and passed in minimum five subjects with english as one of the subjects, will be admitted in std. XI in Maharashtra state.

This board decides equivalence of various examinations outside Maharashtra/India for the purpose of admissions to std. XI and XII only. Hence the question of deciding the equivalence of Madhya Pradesh Open School of Higher Secondary examination, however, does not come under the purview of this Board.

Yours Faithfully

Secretary  
Maharashtra State Board of Secondary &  
Higher Secondary Education, Pune- 411010

## माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक / समिति / बी.नि. / 98 / 10

अजमेर, दिनांक 5.4.98

### आदेश

बोर्ड अधिवेशन दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 के निर्णय संख्या-8 मान्यता समिति दिनांक 14 अगस्त, 97 की अनुशंसा संख्या-3 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल को निम्नलिखित परीक्षाओं को उनके सम्मुख अंकित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता परीक्षा 1997 से प्रदान की जाती है :-

- |   |   |
|---|---|
| 1. हाईस्कूल परीक्षा –<br>हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं<br>सामाजिक विज्ञान विषयों सहित प्रत्येक<br>विषय में न्यूनतम 33 % अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो        | माध्यमिक परीक्षा<br>(secondary School Examination)      |
| 1. हायर सेकण्डरी परीक्षा –<br>अनिवार्य हिन्दी, अनिवार्य अंग्रेजी,<br>तथा तीन ऐच्छिक विषयों सहित<br>प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 % अंक प्राप्त<br>कर उत्तीर्ण हो | उच्च माध्यमिक परीक्षा<br>(secondary School Examination) |

(अम्बालाल)  
सचिव

पृ.क्रमांक / समिति / बी.नि. / 98 / 79-82  
प्रतिलिपि :-

अजमेर, दिनांक 15.4.98

1. शिक्षा सचिव (प्रा. एवं माध्यमिक) राजस्थान, जयपुर।
2. उपशासन सचिव, शिक्षा (गुप-6) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. संचालक, मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर, शिवाजी नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश)
5. सहायक निदेशक स्तर के समस्त अधिकारी, मा.शि.बोर्ड, राज. अजमेर।
6. अनुभाग अधिकारी, परीक्षा-द्वितीय मा.शि. बोर्ड, राज. अजमेर।
7. अनुभाग अधिकारी, मान्यता शाखा, मा.शि.बोर्ड, राज. अजमेर।

सचिव

45

## जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

क्रमांक एफ-93/अकादमी/अर्हता/98/582

ग्वालियर, दिनांक 15.1.98

प्रति,

संचालक,  
म.प्र. राज्य ओपन स्कूल  
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- मान्यता के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक : एस.ओ.एस./स्था/97/914 दिनांक 17.12.97 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था द्वारा संचालित हायर सेकण्डरी (10+ 2) परीक्षा को सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 4.10.96 के आधार पर पूर्व में ही इस विश्वविद्यालय में मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

भवदीय  
(आर. बी. अग्रवाल)  
उप कुलसचिव (अका.)

पृ.क्रमांक एफ-52/112/98/सी-3/38

ग्वालियर, दिनांक 5.5.98

प्रतिलिपि :-

सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(आर. बी. अग्रवाल)  
उप कुलसचिव (अका.)

## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर विश्वविद्यालय भवन, इंदौर-452001

क्रमांक / शैक्षि. / दो / 195 / 98  
प्रश्न / इक्कीस / 2 / 92-98

इंदौर, दिनांक 8.6.98

### अधिसूचना

समन्वय समिति ने अपनी 57 वीं बैठक दिनांक 19 मार्च, 1998 में निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल की 12 वीं की परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12 वीं की परीक्षा के समकक्ष मान्यता दी जाए। तदनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश देते समय उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही की जाए।

(सुरेशचन्द्र गोन्डल)  
कुल सचिव

पृ.क्रमांक / शैक्षि. / दो / 195 / 99  
प्रश्न / इक्कीस / 2 / 92-98  
प्रतिलिपि :-

इंदौर, दिनांक 8.6.98

1. प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर / धार / झाबुआ / खडवा / खरगौन।
2. समस्त अधिकारी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
3. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
4. कुलपति के सचिव / कुल सचिव के निज सहायक।
5. पूछताछ कक्ष।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एम.के.तिवारी)  
उप कुल सचिव (प्रशासन)

## मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभागमंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-44/4/95/बी-2/20  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27.4.95

अध्यक्ष,  
माध्यमिक शिक्षा मंडल  
म.प्र. भोपाल

विषय :-

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की स्थापना।

राज्य शासन ने मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण तथा शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य ओपन स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

2. ओपन स्कूल का संचालन रजिस्ट्रेशन ऑफ, सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत समिति द्वारा होगा। यह समिति वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधीन कार्य करेगी।

3. मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था पारम्परिक शिक्षण व्यवस्था से पृथक रहेगी। इस व्यवस्था में बालकबालिकाओं के लिए प्रति दिन शाला में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा। उनका पाठ्यक्रम उनके जीवन के अनुरूप होगा। उन्हें पढ़ाये जाने वाले विषय पारम्परिक शिक्षण व्यवस्था की तुलना में कम होंगे, जैसे बालकबालिकायें पढ़ाई के साथसाथ अपने रोजमर्रा का काम करने का भी लाभ ले सकें। व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य भी इस प्रस्तावित व्यवस्था से जुड़े रहेंगे।

4. ओपन स्कूल में प्रारंभिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक शिक्षण व्यवस्था रहेगी। प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क रहेगी। हाईस्कूल तथा उ. मा. विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के लिये विद्यार्थियों को शुल्क देय होगा। परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए समूचित रियायत दी जायेगी।

5. वर्ष 1995-96 में प्रथमिक स्तर की शिक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 300 केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। ये केन्द्र ऐसे 59 विकास खण्ड में स्थापित किए जायेंगे, जिनमें पोस्ट लिटरेसी कार्य किया जा रहा है। इनमें दुर्ग के 12, बैतूल 1, इंदौर 4, रतलाम 6, नरसिंहपुर 6, रायगढ़ 2, बिलासपुर 4, और रायपुर 24 विकास खण्ड हैं। हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की परीक्षा के केन्द्र ऐसे 12 जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ किये जायें, जो संभागीय मुख्यालय भी हों। यह बंदिश रहेगी कि इनमें विकास खण्ड मुख्यालय से अन्य स्थान पर केन्द्र स्थापित न हों। प्रथम वर्ष में ऐसे 100 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

6. मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल द्वारा शुरू में राष्ट्रीय ओपन स्कूल का पाठ्यक्रम अपनाया जायेगा और उनकी पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जाए। राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री विकसित है। हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी के लिये ओपन स्कूल का एनरोलमेन्ट जुलाई 1995 से प्रारम्भ किया जाये। प्राथमिक कक्षाओं के लिए इस वर्ष अक्टूबर माह तक पाठ्य सामग्री राष्ट्रीय ओपन स्कूल के सहयोग से तैयार कर ली जाये। पाठ्य सामग्री तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाये कि वह मध्यप्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप हो। तत्पश्चात् अक्टूबर 1995 से प्राथमिक स्तर का एनरोलमेन्ट किया जाये।

7. मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से संबद्ध विद्यार्थियों के लिए आयोजित परीक्षाओं के प्रमाण पत्र हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा दिये जायेंगे तथा कक्षा 5 वीं की परीक्षा के लिये जिला स्तरीय परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिये जा सकेंगे। प्रथम वर्ष यह लक्ष्य है कि प्राथमिक स्तर पर 15,000 विद्यार्थी तथा हाईस्कूल के लिए 10,000 और हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 5,000 विद्यार्थियों को दर्ज किया जाए।

8. राज्य शासन की मंशा के अनुसार कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही शीघ्र की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
भोपाल, दिनांक 27.4.95

पृ.क्रमांक एफ-44/4/95/बी-2/20

प्रतिलिपि :- 1. स्टाफ, आफीसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

2. प्रोफेसर एन.मुखोपाध्याय, चेयरमैन, राष्ट्रीय ओपन स्कूल, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल।

4. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षणपरिषद्, भोपाल।

5. संचालक, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल।

6. संचालक, प्रौढ़ शिक्षा, भोपाल।

7. आयुक्त लोशिक्षण संचालनालय कार्यालय।

(रजनीश वेश)

उप सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-7/2017/1/3,

भोपाल, दिनांक 09 मई, 2017

प्रति,


शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश ।

विषय: मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल (म.प्र. राज्य ओपन स्कूल) द्वारा आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की परीक्षाओं की समकक्षता ।

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल (म.प्र. राज्य ओपन स्कूल) द्वारा आयोजित हाई स्कूल कक्षा 10<sup>वीं</sup> एवं हायर सेकेण्डरी कक्षा 12<sup>वीं</sup> की परीक्षाओं राज्य शासन के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिये निम्नानुसार प्रत्येक के सामने क्रमशः उल्लेखित शिक्षा के सामान्य ढांचे के अंतर्गत शैक्षणिक परीक्षा के समकक्ष मान्यता देने का निर्णय लिया है :-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	समकक्षता
1	परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल कक्षा 10 <sup>वीं</sup> परीक्षा	माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल कक्षा 10 <sup>वीं</sup> की परीक्षा के समकक्ष ।
2	परिषद द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी कक्षा 12 <sup>वीं</sup> परीक्षा	माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी कक्षा 12 <sup>वीं</sup> की परीक्षा के समकक्ष ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(सी.बी.पडवार)  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 22.08.2016

क्रमांक 1326/1199/2016/20-2:: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.5.2016 के अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि "रुक जाना नहीं" योजनांतर्गत कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल द्वारा जारी अंकसूचियों में "उत्तीर्ण" घोषित नियमित परीक्षार्थियों को विद्यालय द्वारा जारी की जाने वाले शाला छोड़ने के प्रमाण पत्र (टी.सी.) में परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण अंकित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(कलावती उइके)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पू० क्रमांक 1327/1199/2016/20-2  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22.08.2016

1. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
2. अध्यक्ष/सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
4. संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
9. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
आर्डर बुक

अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

::राकेश मुले::

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
::आदेश::


भोपाल, दि.14.3.2018

क्रमांक एफ 44-8/2018-20-2 :: विभागीय समसंख्यक दिनांक 03 अगस्त 2017 के परिप्रेक्ष्य में "रुक जाना नहीं योजना" योजना अन्तर्गत वर्ष 2016 में कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को वर्ष 2018 में आयोजित होने वाले "रुक जाना नहीं योजना" की कक्षा 12वीं के परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(प्रमोद सिंह)  
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पु. क्रमांक एफ 44-8/2018-20-2 ::  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दि. 14.3.2018

1. निज सचिव, मान. मंत्री / मान. राज्य मंत्री, म.प्र.शासन।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संचालक, राज्य ओपन स्कूल मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
9. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव (413/18)

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय बल्लभ, भोपाल

भोपाल दिनांक 3 अगस्त, 2017

// आदेश //

क्रमांक / 44-SP/2017/20-2 विभागीय समस्त परीक्षार्थी जिन्होंने "रुक जाना नहीं योजना" के प्रथम चरण हेतु आवेदन किया है, उन्हें वर्तमान सत्र में प्रदेश के शासकीय/अशासकीय विद्यालय में बगैर कोई शुल्क लिए प्रावर्धक (प्रोविजनल) प्रवेश दिया जाये।  
2/ प्रथम चरण में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय निर्धारित शुल्क के साथ नियमित प्रवेश देने।  
3/ द्वितीय चरण में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी आगामी शैक्षणिक सत्र में ही कक्षा 11 वीं में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*4/8/17*  
(प्रमोद सिंह) 31/8/17  
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक / म.प्र. 44-SP/2017/20-2  
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 3 अगस्त, 2017

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन।
- 2 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3 आयुक्त, लोक शिक्षण/ संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
- 4 सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 4 समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
- 5 संभागीय संयुक्त संचालक/संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास विभाग समस्त संभाग म0प्र0
- 7 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश।
- 8 समस्त प्राचार्य शासकीय/ अशासकीय विद्यालय, म0प्र0।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*4/8/17*  
उप सचिव 31/8/17  
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

// लेखीराम //  
03082017

## माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/366/मूल्यां/1/96

भोपाल, दिनांक 04-10-96

### विज्ञप्ति

संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल द्वारा वर्ष 1997 से प्रारम्भ की जाने वाली हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी परीक्षा की मण्डल की हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य किया जाता है।

(मण्डल पाठ्यचर्या समिति की बैठक दिनांक 31-08-96 में लिये गये निर्णयानुसार)



कृते सचिव,

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

म.प्र. भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/367/मूल्यां/1-96

भोपाल, दिनांक 04-10-96

प्रतिलिपि -

01. मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त संस्थायें।
02. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र., भोपाल।
03. संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल, मा.शि.मण्डल, म.प्र.,परिसर, भोपाल।
04. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, रायपुर, बिलासपुर, रीवा, सागर, जबलपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर।
05. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.म., म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, रायपुर, बिलासपुर।
06. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल।
07. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था अरविन्द मार्ग दिल्ली।
08. समस्त विश्व विद्यालय म.प्र.।
09. व्यवसायिक शिक्षा मण्डल म.प्र.।
10. सुन्दर लाल शर्मा, व्यवसायिक शिक्षा मण्डल, एम.पी. नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रेषित।



कृते सचिव,

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

म.प्र. भोपाल

## ✎ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियाँ ✎

✎ प्रवेश पूरे वर्ष खुले हैं।	
✎ रुक जाना नहीं योजना के लिए पंजीकरण	माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 का परीक्षा परिणाम घोषणा से 10 दिवस तक
✎ रुक जाना नहीं योजना के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण	परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि के 08 दिवस पूर्व से (07 दिवस का)
✎ ओपन स्कूल के लिए सम्पर्क कक्षाएं	प्रथम ब्लाक में पंजीकृत विद्यार्थियों हेतु— अप्रैल माह के प्रथम रविवार से सितम्बर माह के अंतिम रविवार तक। द्वितीय ब्लाक में पंजीकृत विद्यार्थियों हेतु— अक्टूबर माह के प्रथम रविवार से मार्च माह के अंतिम रविवार तक।
✎ प्रथम ब्लाक 01 सितम्बर 2016 से 28 फरवरी 2017 तक आवेदन करने वाले नवीन विद्यार्थी	नवम्बर—दिसम्बर 2017
✎ द्वितीय ब्लाक 01 मार्च 2017 से 31 अगस्त 2017 तक आवेदन करने वाले नवीन विद्यार्थी	मई—जून 2018
✎ परीक्षा परिणाम की घोषणा	अंतिम परीक्षा समाप्त होने के 8—10 सप्ताह के भीतर
✎ अंकों की पुनः जांच	प्रावधान नहीं
<p><b>नोट :</b> पंजीकरण करने मात्र से ही शिक्षार्थी को प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है। एम.पी. एस.ओ.एस.ई.बी. द्वारा प्रवेश, संबंधित परीक्षा केन्द्र/अध्ययन केन्द्र पर स्थानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए “<b>पहले आओ पहले पाओ</b>” के आधार पर प्रदान किए जावेंगे। परीक्षा केन्द्र जिला स्तर पर ही होंगे। उक्त के अतिरिक्त पंजीकृत नवीन विद्यार्थियों की परीक्षा दिसम्बर 2018 या उसके पश्चात् होगी।</p>	

✎ अन्य संचालित प्रवेश परीक्षाएँ ✎

स.क्र.	परीक्षा का नाम	संभावित प्रवेश तिथि	परीक्षा
01	उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा	फरवरी	मार्च
02	श्रमोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा	मई	जून
03	सुपर 100 चयन परीक्षा	मई	जून

## संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

### ★ डुप्लीकेट अंकसूची :-

- ☞ निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ।
- ☞ परीक्षा केन्द्र प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।
- ☞ प्राचार्य द्वारा प्रमाणित अंकसूची की छायाप्रति ।
- ☞ अंकसूची खो जाने/नष्ट हो जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) ।
- ☞ 50 रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र ।

### ★ अंकसूची में संशोधन :-

- ☞ निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ।
- ☞ केन्द्र द्वारा प्रमाणित एवं अग्रेषित आवेदन पत्र ।
- ☞ कक्षा 5 एवं कक्षा 8 तथा अंतिम कक्षा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की प्रमाणित अंकसूची/प्रमाण पत्र ।
- ☞ शाला छोड़ने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति ।
- ☞ दाखिला खारिज पंजी की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति ।

### ★ विषय परिवर्तन:-

- ☞ विषय परिवर्तन, एक परीक्षा में सम्मिलित होने एवं परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही प्रस्तुत कर सकते हैं। विषय परिवर्तन हेतु विषय का चयन ओपन बोर्ड की विषय सूची से ही किया जा सकेगा ।
- ☞ आवेदन पत्र के साथ, सत्यापित अंकसूची तथा निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ।
- ☞ कार्यालय द्वारा विषय परिवर्तन का आदेश जारी होने के पश्चात् ही आपका विषय परिवर्तन मान्य होगा। आदेश जारी होने के पूर्व, यदि आप स्वेच्छा से विषय परिवर्तित कर परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो आपकी परीक्षा अमान्य घोषित की जावेगी ।

### ★ परीक्षा केन्द्र परिवर्तन

- ☞ निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ।
- ☞ विशेष परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की स्वीकृति के पश्चात् नया प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। तत्पश्चात् ही परीक्षा केन्द्र परिवर्तन मान्य होगा ।
- ☞ परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगा ।
- ☞ माता/पिता के स्थानांतरण होने की दशा में स्थानान्तरण आदेश की छायाप्रति या स्थान परिवर्तन होने पर निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उपर्युक्त के अभावा में केन्द्र परिवर्तन पर विचार नहीं हो सकता ।

### ★ आव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र :-

- ☞ निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ।
- ☞ परीक्षा केन्द्र प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।
- ☞ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अंकसूची की छायाप्रति ।

### ★ बोर्ड प्रमाण पत्र :- उपरोक्तानुसार ।

**नोट :-** निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल" के पक्ष में जारी होना चाहिये ।



—: पता :-

**म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड**

**बोर्ड आफिस केम्पस, शिवाजीनगर,**

**भोपाल- 462011**

Phone - 0755-2671066, Web Site - [www.mpsos.nic.in](http://www.mpsos.nic.in)

E-Mail - [mpsos@rediffmail.com](mailto:mpsos@rediffmail.com), Mobile app- mpsos